भारतीय दंड संहिता. 1860

(1860 का अधिनियम सं. 45)

विषय- सूची

धारा	विषय
	अध्याय- 1 प्रारंभिक
	अध्याय 1
	प्रस्तावना
1.	संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार
2.	भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड
3.	भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड
4.	राज्य क्षेत्रातीय अपराधों पर संहिता का विस्तार
5.	कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना
	अध्याय 2
	साधारण स्पष्टीकरण
6.	संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना
7.	एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव
8.	लिंग
9.	वचन
10.	“पुरुष” “स्त्री”
11.	“व्यक्ति”
12.	“लोक”
13.	“क्वीन”
14.	“सरकार का सेवक”
15.	“ब्रिटिश इंडिया”
16.	“भारत सरकार”
17.	“सरकार”
18.	“भारत”
19.	“न्यायाधीश”
20.	“न्यायालय”
21.	“लोकसेवक”
22.	“जंगम संपत्ति”

23. '"सदोष अभिलाभ"

24. "बेईमानी से"

25. "कपटपूर्वक"

26. "विश्वास करने का कारण"

27. "पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति"

28. "कूटकरण"

29. "दस्तावेज"

29(क) इलेक्ट्रानिक अभिलेख

30. "मूल्यवान प्रतिभूति'"

31. "विल"

32. कार्यो का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है

33. "कार्य", "लोप"

34. सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य

35. जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है

36. अंशत: कार्य द्वारा या अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम

37. किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यो में से किसी एक को करके सहयोग करना

38. आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे

39. "स्वेच्छया"

40. "अपराध"

41. "विशेष विधि"

42. "स्थानीय विधि"

43. "अवैध", "करने के लिए वैध रुप से आबद्ध"

44. "क्षति"

45. "जीवन"

46. "मृत्यु"

47. "जीवजन्तु"

48. "जलयान"

49. "वर्ष मास"

50. "धारा"

51. "शपथ"

52. "सद्भावपूर्वक"

52(क) "संश्रय"

अध्याय 3

दण्डों के विषय में

53. "दण्ड"

53(क) निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना

54. मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण

55. आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण

55(क) "समुचित सरकार" की परिभाषा

56. [निरस्त.....]

57. दंडाविधियों की भिन्ने

58. (***लुप्त)

59. (***लुप्त)

60. दंडादिष्ट करावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा

61. [***निरस्त की गई]

62. [***निरस्त की गई]

63. जुर्माने की रकम

64. जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश

65. जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किये जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि

66. जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाय

67. जुर्माना न देने पर कारावास,जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो

68. जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना

69. जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिये जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान

70. जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना- सम्पत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती

71. कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिये दण्ड की अवधि

72. कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिये दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है

73. एकान्त परिरोध

74. एकान्त परिरोध की अवधि

75. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड

अध्याय 4

साधारण अपवाद

76. विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आपको विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य

77. न्यायिकत: कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य

78. न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य

79. विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य

80. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना

81. कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिये किया गया है

82. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य

83. सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य

84. विकृत्त चित्त व्यक्ति का कार्य

85. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है

86. किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है

87. सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो

88. किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है

89. संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिये सदभाव-पूर्वक किया गया कार्य

90. सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है

91. ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध है

92. सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य

93. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना

94. वह कार्य जिसको करने के लिये कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है

95. तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

96. प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें

97. शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

98. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो

99. कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है

100. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने पर कब होता है

101. कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है

102. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना

103. कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने तक का होता है

104. ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है

105. सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना

106. घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है

अध्याय 5

दुष्प्रेरण के विषय में

107. किसी बात का दुष्प्रेरण

108. दुष्प्रेरक

108क. भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण्

109. दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरुप किया जाए, और जहां कि उस दंड के लिए अभिव्यक्त उंपबंध नहीं है

110. दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है

111. दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है

112. दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है

113. दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो

114. अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति

115. मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता

116. कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए

117. लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण

118. मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना

119. किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक-सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्त्तव्य है

120. कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना

अध्याय 5क

आपराधिक षड्यंत्र

120क. आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा

120ख. आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड

अध्याय 6

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

121. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना

121क. धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र

122. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना

123. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना

124. कसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना

124क. राजद्रोह

125. भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना

126. भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूट-पाट करना

127. धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूट-पाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना

128. लोक-सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना

129. उपेक्षा से लोक-सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना

130. ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना

अध्याय 7

सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

131. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना

132. विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरुप विद्रोह किया जाए

133. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण

134. ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए

135. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण

136. अभित्याजक को संश्रय देना

137. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक

138. सैनिक, नौसैनिक या वायु-सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण

138क. [निरसित]

139. कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति

140. सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना

अध्याय 8

लोक-प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

141. विधिविरुद्ध जमाव

142. विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना

143. दण्ड

144. घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरूद्ध जमाव में सम्मिलित होना

145. किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुये कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना

146. बल्वा करना

147. बल्वा करने के लिये दण्ड

148. घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना

149. विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी

150. विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिये व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता

151. पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पक्षात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना

152. लोक-सेवक जब बल्वा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना

153. बल्वा कराने के आशय रो स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदिबल्वा किया जाये- यदि बल्वा न किया जाये

153क. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना

153ककक. किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिये दण्ड

153ख राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान

154. उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है

155. उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है

156. उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है

157. विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना

158. विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना

159. दंगा

160. दंगा करने के लिए दण्ड

अध्याय 9

लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 161 से धारा 165क को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 संख्या 49 द्वारा निरसित किया गया ।

166. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है

166क. लोक-सेवक जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता

166ख. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड

167. लोक सेवक,जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है

168. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है

169. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिये बोली लगाता है

170. लोक-सेवक का प्रतिरुपण

171. कपटपूर्ण आशय से लोक-सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना

अध्याय 9 क

निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

171क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित

171ख. रिश्वत

171ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना

171घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपण

171ङ रिश्वत के लिये दण्ड

171च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्ड

171छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन

171ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय

171झ. निर्वाचन-लेखा रखने में असफलता

अध्याय 10

लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

172. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिये फरार हो जाना

173. समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना

174. लोक-सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहना

174क. 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी

175. दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रुप से आबद्ध व्यक्ति का लोक-सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप

176. सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रुप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक-सेवक को सूचना या इत्तिला

देने का लोप

177. मिथ्या इत्तिला देना

178. शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक-सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रुप से अपेक्षित किया जाए

179. प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक-सेवक का उत्तर देने से इंकार करना

180. कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार

181. शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक-सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन

182. इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक-सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के लिए करे

183. लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्त्िा लिए जाने का प्रतिरोध

184. लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गयी संपत्ति के विक्रय में उपस्थित करना

185. लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना

186. लोक-सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना

187. लोक-सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो

188. लोक-सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा

189. लोक-सेवक को क्षति करने की धमकी

190. लोक-सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमर्की

अध्याय 11

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

191. मिथ्या साक्ष्य देना

192. मिथ्या साक्ष्य गढ़ना

193. मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड

194. मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना

195. आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना

195क. किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना

196. उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है

197. मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना

198. प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रुप में काम में लाना

199. ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रुप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन

200. ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रुप में काम में लाना

201. अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना
202. इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप
203. किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना
204. साक्ष्य के रूप में किसी [दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
205. वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरुपण
206. संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
207. संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा
208. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना
209. बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
210. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है. कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना
211. क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप
212. अपराधी को संश्रय देना
213. अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
214. अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरुप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन
215. चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना
216. ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है
216क. लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शक्ति
216ख. (.....निरसित)
217. लोक-सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा
218. किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक-सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना
219. न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक-सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्थक किया जाना
220. प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी
221. पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप
222. दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकडने के लिए आबद्ध लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप
223. लोक-सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना
224. किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
225. किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
225क. उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना

225ख. अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना
226. [***]निरसित
227. दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण
228. न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न
228क. कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण
229. जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरुपण
229क. जमानत या बन्धपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता

अध्याय 12

सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

230. सिक्का की परिभाषा
231. सिक्के का कूटकरण
232. भारतीय सिक्के का कूटकरण
233. सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
234. भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
235. सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
236. भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण
237. कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात
238. भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात
239. सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
240. उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
241. किसी सिक्के का असली सिक्के के रुप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था
242. कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था, जब वह उसके कब्जे में आया था
243. भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
244. टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है
245. टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रुप से लेना
246. कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
247. कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
248. इस आशय से किसी सिक्के का रुप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रुप में चल जाए
249. इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रुप में

चल जाए
250. ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है
251. भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है-
252. ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया
253. ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया
254. सिक्के का असली सिक्के के रुप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था
255. सरकारी स्टाम्प का कूटकरण
256. सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना
257. सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण बनाना या बेचना
258. कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय
259. सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना
260. किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए जो असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाना
261. इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्ट्राम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है
262. ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है-
263. स्टाम्प के उपयोग किये जा चुकने के द्योतक चिंह का छीलकर मिटाना
263क. बनावटी स्टाम्पो का प्रतिषेध

अध्याय 13

बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

264. तोलने के लिये खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग
265. खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग
266. खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
267. खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना

अध्याय 14

लोक-स्वास्थ्य. क्षेम. सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधो विषय में

268. लोक न्यूसेंस
269. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य हो
270. परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य है
271. करन्तीन के नियम की अवज्ञा
272. विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण

273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
274. औषधियों का अपमिश्रण
275. अपमिश्रित औषधियों का विक्रय
276. औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
277. लोक जल-स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
278. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाना
279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना
280. जलयान का उतावलेपन से चलाना
281. भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन
282. अक्षेमकर या अति-लदे हुये जलयान में भाड़े के लिये जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण
283. लोकमार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
284. विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
285. अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के समबन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
286. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण
287. मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
288. किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
289. जीवजन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
290. अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिये दण्ड
291. न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना
292. अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि
293. तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि
294. अश्लील कार्य और गाने
294क. लाटरी कार्यालय रखना

अध्याय 15

धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

295. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति कारित करना या अपवित्र करना
295क. विमर्शित और विद्वेशपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गये हों
296. धार्मिक जमाव में विघ्न करना
297. कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
298. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि

अध्याय 16

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिये संकटकारी अपराधों के विषय में

299. आपराधिक मानव वध

300. हत्या

301. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध

302. हत्या के लिये दण्ड

303. आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिये दण्ड

304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड

304क. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

304ख. दहेज मृत्यु

305. शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण

306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण

307. हत्या करने का प्रयत्न

308. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न

309. आत्महत्या करने का प्रयत्न

310. ठग

311. दण्ड

गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में

312. गर्भपात कारित करना

313. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना

314. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यो द्वारा कारित मृत्यु

315. शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य

316. ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना

317. शिशु के पिता या माता या उसकी देख-रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग

318. मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना

उपहति के विषय में

319. उपहति

320. घोर उपहति

321. स्वेच्छया उपहति कारित करना
322. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
323. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड
324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
325. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिये दण्ड
326. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326क. अम्ल आदि का प्रयोग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326ख. स्वेच्छया अम्ल फैंकना या फैंकने का प्रयोग करना
327. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
328. अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना
329. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिये या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
330. संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना
331. संस्वीकृति उद्दापित करने के लिये या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
332. लोक-सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना
333. लोक-सेवक को अपने कर्त्तव्यों से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
334. प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना
335. प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
336. कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो
337. ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन का या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए
338. ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में

339. सदोष अवरोध
340. सदोष परिरोध
341. सदोष अवरोध के लिए दंड
342. सदोष परिरोध के लिए दंड
343. तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
344. दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
345. ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध, जिसके छोडने के लिए रिट निकल चुका है
346. गुप्त स्थान में सदोष परिरोध
347. संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध
348. संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध

आपराधिक बल और हमले के विषय में

349. बल

350. आपराधिक बल

351. हमला

352. गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड

353. लोक-सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354क. लैंगिक उत्पीडन और लैंगिक उत्पीडन के लिए दण्ड

354ख. विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354ग. दृश्यरतिकता

354घ. पीछा करना

355. गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

356. किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

357. किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

358. गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में

359. व्यपहरण

360. भारत में से व्यपहरण

361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण

362. अपहरण

363. व्यपहरण के लिए दंड

363क. भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण

364. हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण

364क. मुक्ति-धन आदि के लिए व्यपहरण

365. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण

366. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना

366क. अप्राप्तवय लड़की का उपापन

366ख. विदेश से लड़की का आयात करना

367. व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण

368. व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना

369. दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण

370. दास के रुप में किसी व्यक्ति का खरीदना या व्ययन करना
370क. ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण
371. दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना
372. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना
373. वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना आदि
374. विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम-

यौन अपराध

375. बलात्संग
376. बलात्संग के लिए दण्ड
376क. पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग
376ख. लोक-सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग
376ग. जेल, प्रतिप्रेषणगृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग
376घ. अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारीवृंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग
376ङ. पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड

प्रकृति-विरुद्ध अपराधों के विषय में

377. प्रकृति-विरुद्ध अपराध

अध्याय 17

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

चोरी के विषय में

378. चोरी
379. चोरी के लिए दंड
380. निवास-गृह आदि में चोरी
381. लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी
382. चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी

उद्दापन के विषय में

383. उद्दापन
384. उद्दापन के लिए दंड
385. उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना
386. किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन
387. उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना
388. मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन
389. उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना

लूट और डकैती के विषय में

390. लूट
391. डकैती
392. लूट के लिए दंड
393. लूट करने का प्रयत्न
394. लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना
395. डकैती के लिए दंड
396. हत्या सहित डकैती
397. मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
398. घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
399. डकैती करने के लिए तैयारी करना
400. डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड
401. चोरों की टोली का होने के लिए दंड
402. डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना

सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

403. संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
404. ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी

आपराधिक न्यासभंग के विषय में

405. आपराधिक न्यासभंग
406. आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड
407. वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग
408. लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग
409. लोक-सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग

चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में

410. चुराई हुई संपत्ति
411. चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
412. ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है-
413. चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासत: व्यापार क्वना
414. चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना

छल के विषय में

415. छल
416. प्रतिरुपण द्वारा छल
417. छल के लिए दंड
418. इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित

रखने के लिए अपराधी आबद्ध है
419. प्रतिरुपण द्वारा छल के लिए दंड
420. छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना

कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति-व्ययनों के विषय में

421. लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना
422. ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
423. अंतरण ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन
424. संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना

रिष्टि के विषय में

425. रिष्टि
426. रिष्टि के लिए दंड
427. रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है
428. दस रुपये के मूल्य के जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
429. किसी मूल्य के ढोर आदि की या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
430. सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोडने द्वारा रिष्टि
431. लोक सड़क, पुल, नदी या जल- सारणी को क्षति पहुँचाकर रिष्टि
432. लोक जल-निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि
433. किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करने, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि
434. लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि
435. सौ रुपये का या (कृषि-उपज की दशा में) दस रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
436. गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
437. तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि
438. धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गयी रिष्टि के लिए दंड
439. चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढा देने के लिए दंड
440. मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गयी रिष्टि

आपराधिक अतिचार के विषय में

441. आपराधिक अतिचार
442. गृह-अतिचार
443. प्रच्छन्न गृह- अतिचार
444. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार

445. गृह-भेदन
446. रात्रौ गृह-भेंदन
447. आपराधिक अतिचार के लिए दंड
448. गृह-अतिचार के लिए दंड
449. मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह- अतिचार
450. आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
451. कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
452. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार
453. प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड
454. कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह- अतिचार या गृह-भेदन
455. उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
456. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह- भेदन के लिए दंड
457. कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन
458. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन
459. प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह- भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
460. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन में संयुक्तत: संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो
461. ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोडकर खोलना
462. उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है

अध्याय 18

दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में

463. कूटरचना
464. मिथ्या दस्तावेज रचना
465. कूटरचना के लिए दंड
466. न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना
467. मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूटरचना
468. छल के प्रयोजन से कूटरचना
469. ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूटरचना
470. कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख
471. कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रुप में उपयोग में लाना
472. धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना के आशय के कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना
473. अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना
474. धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रुप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना

475. धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
476. धारा 467 में विर्णत दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह को कूटकृती बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
477. विल, दत्तक ग्रहण प्राधिकारपत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना
477क. लेखा का मिथ्याकरण

संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में

478. (.....) निरसित
479. संपत्ति चिन्ह
480. मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना
481. मिथ्या संपत्ति-चिन्ह को उपयोग में लाना
482. मिथ्या संपत्ति-चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड
483. अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण
484. लोक-सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण
485. संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
486. कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय
487. किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है
488. किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड
489. क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना

करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में

489क. करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
489ख. कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रुप में उपयोग में लाना
489ग. कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
489घ. करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
489ङ. करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग

अध्याय 19

सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में

490. (.....) निरसित
491. असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग
492. (.....) निरसित

अध्याय 20

विवाह संबंधी अपराधों के विषय में

493. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्पेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास

494. पति या पत्नी के जीवन काल में पुन: विवाह करना

495. वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है

496. विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाहकर्म पूरा कर लेना

497. जारकर्म

498. विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना

अध्याय 20-क

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

498क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना

अध्याय 21

मानहानि के विषय में

499. मानहानि

500. मानहानि के लिए दंड

501. मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना

502. मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना

अध्याय 22

आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

503. आपराधिक अभित्रास

504. लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान

505. लोक रिष्टि कारक वक्तव्य

506. आपराधिक अभित्रास के लिए दंड

507. अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास

508. व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य

509. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है

510. मत्त व्यक्ति द्वारा लोक-स्थान में अवचार

अध्याय 23

अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में

511. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड

भारतीय दंड संहिता 1860

(1860 का अधिनियम सं. 45)

6 अक्टूबर, 1860

अध्याय 1

प्रस्तावना

उद्देशिका- [1][भारत] के लिए एकसाधारण दण्ड संहिता का उपबंध करना समीचीन है; अत: यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित किया जाता है,

धारा- 1- संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार- यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका [3][विस्तार [4][जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] संपूर्ण भारत पर होगा।

---

1. शब्द "ब्रिटिश भारत" अनुक्रमशः भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम एवं अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम अनुकूलन संख्यांक 3 द्वारा संशोधित ||
2. मूल शब्द अनुक्रमशः 1891 के अधिनियम सं. 12 एवं अनुसूची 1, भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम एवं अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 एवं विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा संशोधित |
3. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा-2- भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड- हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधो के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह [1][भारत] के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा अन्यथा नहीं|

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा-3- [1][भारत] से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड- भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, [1][भारत] से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता (समक्षा) जाएगा, मानो वह कार्य [1][भारत] के भीतर किया गया था।

धारा-4- राज्यक्षेत्रातीय अपराधों पर संहिता का विस्तार- इस संहिता के उपबंध-

[3][(1) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा;

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है |

[5][(3 भारत में अवस्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित करना]

[5](**स्पष्टीकरण**)- इस धारा में-

(क) **"अपराध"** शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो, इस संहिता के अधीन दंडनीय होता;

(ख) **"कम्प्यूटर साधन"** पद का वही अर्थ है जो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में समनुदिष्ट है

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा खण्ड (1) के द्वारा खंड (1) से (4) के लिए प्रतिस्थापित |
3. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2009 के सं. 10 द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 27.10.2009. से प्रभावी |

"[13]**[धारा-5- कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना-** इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।]

अध्याय 2

साधारण स्पष्टीकरण

धारा-6- संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना- इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत, "साधारण अपवाद" शीषर्क वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दुहराया न गया हो।

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 10 द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.9.1957 से प्रभावी |
2. 1957 के अधिनियम सं. 36 द्वारा "(क)" कोष्ठकों व अक्षर लुप्त | दिनांक 17.9.1957 से प्रभावी |
3. 1948 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |
4. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |
5. 1951 के अधिनियम सं. 3 द्वारा प्ररिस्थापित |
6. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा उदाहरण (ख), (ग) एवं (घ) लुप्त किए गए |
7. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा-7- एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव- हर पद, जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है।

धारा-8- लिंग- पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी।

धारा-9- वचन- जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एकवचन आता है।

धारा-10- "पुरुष", "स्त्री" – " पुरुष" शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है; "स्त्री" शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।

धारा-11- "व्यक्ति" - कोई भी कंपनी या संगम, या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, " व्यक्ति" शब्द के अंतर्गत आता है।

धारा-12- **"लोक" -** लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय "लोक" शब्द के अंतर्गत आता है।

धारा-13 – "क्वीन" - (अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।)

[1]**[धारा-14- "सरकार का सेवक" -** "सरकार का सेवक" शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रुप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए, या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक है ।]

धारा-15 - " ब्रिटिश इंडिया" – (विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निरसित ।)

धारा-16- "भारत सरकार" - (भारतीय विधि अनुकूल आदेश, 1937 द्वारा निरसित |)

धारा-17- "सरकार" - "सरकार" शब्द केंन्द्रीय सरकार या किसी [3][***] राज्य की सरकार का द्योतक है|]

[5]**[धारा-18- "भारत" -** "भारत" से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।]

धारा-19- "न्यायाधीश" - "न्यायाधीश" शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक होता है, जो पद रुप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का द्योतक है,

जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो अथवा

जो उस व्यक्ति-निकाय में से एक हो, जो

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1951 के अधिनियम सं. 3 द्वारा शब्दों "भाग क" को लुप्त किया गया
3. 1951 के अधिनियम सं. तीसरी पास द्वारा प्रतिस्थापित |

व्यक्ति-निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ।

धारा-20- "न्यायालय" - "न्यायालय" शब्द उस न्यायाधीश का, जिसे अकेले ही का न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश-निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जब कि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश-निकाय न्यायिकत: कार्य कर रहा हो, द्योतक है।

धारा-21- "लोकसेवक" - "लोकसेवक" शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन् पश्चात् निम्नगत वर्णनों में से किसी में आता है, अर्थात :-

[1][***]

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा प्रथम खंड निरसित

दूसरा- भारत की [1][***]सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर;

[3][तीसरा- हर न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय- निर्णायिक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रुप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो;]

चौथा- न्यायालय का हर ऑफिसर, [3][जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है] जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्त्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो;

पाँचवाँ- किसी न्यायालय या लोक- सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य ।

छठा- हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा, या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए, निर्देशित किसी गया हो;

सातवाँ- हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो ;

आठवाँ- सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा शब्द "डोमेनियम" लुप्त |
2. 1964 के अधिनियम सं. 40 द्वारा अंत: स्थापित | दिनांक 18.12.1964 से प्रभावी |

अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक-स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे;

नवाँ- हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार [1][***]के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके ;

दसवाँ- हर ऑफिसर, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या उद्‌गृहीत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रामाणीकृत करे या रखे ;

[3]**[ग्यारहवां-** हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो, जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो;]

[5]**[बारहवाँ-** हर व्यक्ति, जो -

(क) सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक-कर्त्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो;

---

1. 1964 के अधिनियम सं. 40 द्वारा कतिपय शब्द लुप्त किए गए | दिनांक 18.12.1964 से प्रभावी |
2. 1920 के अधिनियम सं.39 द्वारा अंत:स्थापित |
3. 1964 के अधिनियम सं.40 द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 18.12.1964 से प्रभावी |

(ख) स्थायीन प्राधिकारी की, अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की, सेवा या वेतन में हो|]

[1]**[स्पष्टीकरण 3.**- "निर्वाचन" शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरुप का हो, सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप विहित की गई हो।

[3][***]

राज्य संशोधन

राजस्थान- धारा 21 में खंड 12 के उपरांत निम्न नवीन खंड जोडा जाएगा-

"तेरहवाँ- किसी विधि के द्वारा मान्यताप्राप्त या अनुमोदित किसी परीक्षा के संचालन एवं पर्यवेक्षण में किसी लोक निकाय द्वारा नियोजित अथवा लगाया गया प्रत्येक व्यक्ति-

स्पष्टीकरण- लोक निकाय में शामिल हैं-

(क) केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या भारतीय संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित या सरकार के द्वारा गठित विश्वविद्यालय, परीक्षा मंडल या अन्य निकाय; एवं

(ख) एक स्थानीय प्राधिकरण

(राजस्थान अधिनियम सं. 4 वर्ष 1993 के द्वारा । दिनांक 11 -2-1993 से प्रभावी ।)

---

1. 1920 के अधिनियम सं.39 द्वारा अंत:स्थापित |
2. 1964 के अधिनियम सं.40 द्वारा स्पष्टीकरण 4 लुप्त | दिनांक 18.12.1964 से प्रभावी

धारा-22- "जंगम संपत्ति" - "जंगम संपत्ति" शब्दों से यह आशयित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें, जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रुप से जकड़ी हुई हों, इनके अंतर्गत नहीं आती।

धारा-23 – "सदोष अभिलाभ" - "सदोष अभिलाभ" विधि-विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है, जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो।

"सदोष हानि" - "सदोष हानि" विधि विरुद्ध साधनों हारा ऐसी संपत्ति की हानि है, जिसका वैध रुप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो।

सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना- कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष, वंचित किया जाता है।

धारा-24 – "बेईमानी से" - जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्तियों को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को **"बेईमानी से"** करता है यह कहा जाता है।

धारा-25- "कपटपूर्वक" - कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।

धारा-26 – "विश्वास करने का कारण" - कोई व्यक्ति किसी बात के "विश्वास करने का कारण" रखता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं।

धारा-27- "पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति" - जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है।

स्पष्टीकरण- लिपिक या सेवक के नाते अस्थाई रुप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत लिपिक या सेवक है।

धारा-28 – " कूटकरण" - जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वे उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह "कूटकरण" करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 1.- कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो।

स्पष्टीकरण 2.- जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह संभाव्य जानता था कि एतद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी|

धारा-29 - "दस्तावेज" - " दस्तावेज" शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंको या चिन्हों के साधन द्वारा, या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

स्पष्टीकरण 1.- यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं।

स्पष्टीकरण 2- अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह, वस्तुत: अभिव्यक्त न भी किया गया हो।

[1]**[धारा 29क. इलेक्ट्रानिक अभिलेख-** "इलेक्ट्रानिक अभिलेख" शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में समनुदेशित किया गया है |]

धारा-30- "मूल्यवान प्रतिभूति" - "मूल्यवान प्रतिभूति" शब्द उस दस्तावेज के द्योतक है, जो ऐसा दस्तावेज है, या होना तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोडा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है।

धारा-31- "विल" - "विल" शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है।

धारा-32- कार्यो का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है- जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है।

धारा-33- "कार्य", "लोप" - "कार्य" शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का, "लोप" शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का|

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा अंत:स्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |

धारा-34- सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य- जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने ही किया हो।

धारा-35- जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है- जब कभी कोई कार्य, जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो।

धारा-36- अंशत: कार्य द्वारा या अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम- जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है।

धारा-37- किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना- जब कि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यो में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है ।

धारा-38- आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे- जहां कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे।

धारा-39- "स्वेच्छया" - कोई व्यक्ति किसी परिणाम को "स्वेच्छया" कारित करता है यह तब कहा जाता है, जब वह उसे साधनों के द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था, कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है।

धारा 40- "अपराध" - इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय "अपराध" शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है।

अध्याय 4, अध्याय 5-क और निम्नलिखित धाराएं अर्थात् धारा 64,65, 66, 67,71,109, 110,112, 114, 115, 116, 117, [1]118,

---

1. अधिनियम सं. 10 वर्ष 2009 की धारा 51 (ख) द्वारा अंत:स्थापित | दिनांक 27.10.2009 से प्रभावी |

119,और 120], 187,194,195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में "अपराध" शब्द इस संहिता के अधीन या एतस्मिन् पश्चात् यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है।

और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216, और 441 में "अपराध" शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन छह मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दंडनीय हो।

धारा 41 – "विशेष विधि" - "विशेष विधि" वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो।

धारा 42 – " स्थानीय विधि"- "स्थानीय विधि" वह विधि है जो [1][[2] [भारत][3] [***] के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो।

धारा 43 – "अवैध", "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध" - "अवैध" शब्द उस हर बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्धि हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो; और कोई व्यक्ति उस बात को "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध" कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।

धारा 44- "क्षति" - "क्षति" शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध कप से कारित हुई हो।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1948 के द्वारा "ब्रिटिश इंडिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1951 के अधिनियम सं. 3 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. 1952 के अधिनियम सं. 48 द्वारा "में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

धारा 45- "जीवन" - जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, "जीवन" शब्द मानव के जीवन का द्योतक है।

धारा 46- "मृत्यु" - जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, "मृत्यु" शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है।

धारा 47- "जीवजन्तु" - "जीवजन्तु" शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है।

धारा 48- "जलयान" - "जलयान" शब्द किसी चीज का द्योतक है, जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई हो।

धारा 49 – "वर्ष, मास" - जहां कहीं "वर्ष" शब्द या "मास" शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाता है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैण्डर के अनुकूल की जानी है।

धारा 50 - "धारा" - "धारा" शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है, जो सिरे पर लगे संख्याकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं ।

धारा 51 – "शपथ" - "शपथ" के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक-सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, "शपथ" के अंतर्गत आती है।

धारा 52 – "सद्भावपूर्वक" - कोई बात "सद्भावपूर्वक" की गई या विश्वास की गई नहीं कहीं जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

[1]**[धारा 52क. "संश्रय-** धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाए जहाँ कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा

---

1. 1942 के अधिनियम सं. 8 के द्वारा अंत:स्थापित |

दिया गया हो "संश्रय" शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारुद या प्रवहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकडे जाने से बचने के लिए करना, आता है।]

अध्याय 3

दण्डों के विषय में

धारा 53- "दण्ड" - अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है, वे ये हैं-

पहला- मृत्यु;

[1]**[दूसरा-** आजीवन कारावास;]

[3][***]

चौथा- कारावास जो दो भाँति का है अर्थात-

(1) कठिन, अर्थात कठोर श्रम के साथ.

(2) सादा;

पाँचवाँ- संपत्ति का समपहरण;

छटा- जुर्माना।

[5]**[धारा 53क- निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना-** (1) उपधारा (2) के और उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में, या किसी ऐसी विधि या किसी निरसित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में "आजीवन निर्वासन" के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा, कि वह "आजीवन कारावास" के प्रति निर्देश है।

(2) हर मामले में, जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश द.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, [1][1955] (1955 का 26) के प्रारंभ के पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा, मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया हो|

(3) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा।

(4) किसी अन्य समय तत्समय प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो-

(क) यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है, तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा;

(ख) यदि उस पद से लघुतर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है|

धारा 54- मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण- हर मामले में, जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी [3][समुचित सरकार] इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी।

धारा 55- आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण- हर मामले में जिसमें आजीवन [5][कारावास] का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी [3][समुचित सरकार] उस दंड को ऐसी अवधि के लिए, जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भाँति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी।

---

1. 1957 के अधिनियम सं 36के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.9.1957 से प्रभावी |
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |
3. 1955 के अधिनियम सं. 26 द्वारा प्रतिस्थापित |

[1]**[55 क- "समुचित सरकार" की परिभाषा-** धारा 54 और 65 में "समुचित सरकार" पद से-

(क) उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है, या ऐसे विषय से, जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है; तथा

(ख) उन मामलों में उस राज्य की सरकार, जिसके अंदर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है, अभिप्रेत है, जहां कि दंडादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) ऐसे विषय से, जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है।

धारा 56- [3][निरस्त.....]

धारा 57- दण्डावधियों की भिन्नें- दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में, आजीवन [5][कारावास] को बीस वर्ष के [5][कारावास] के तुल्य गिना जाएगा।

धारा 58- [7] (***लुप्त)

धारा 59- [7] (***लुप्त)

धारा 60- दंडादिष्ट करावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा- हर मामले में, जिसमें अपराधी दोनों में किसी भाँति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा, सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करें कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. आपराधिक विधि (मूल वंशीय विभेदों का निराकरण) अधिनियम, 1949 के द्वारा निरस्त | दिनांक 6-4-1949 से प्रभावी |
3. 1955 के अधिनियम सं. 26 द्वारा प्रतिस्थापित |
4. 1955 के अधिनियम सं. 26 द्वारा लुप्त | दिनांक 1.1.1956 से प्रभावी |

यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा।

धारा 61 – [1][*** निरस्त की गई]

धारा 62– [1][*** निरस्त की गई]

धारा 63- जुर्माने की रकम- जहां कि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माना का दायी है, वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी ।

धारा 64- जुर्माना न देने पर कारावास का दण्ड़ादेश- कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय अपराध के हर मामले में, जिसमे अपराधी कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है,

तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डाविष्ट हुआ है,

वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डाविष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश द्वारा निदेश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, अपराधी अमुक अवधि के लिये कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिये वह दण्डादिष्ट हुआ है या जिससे वह दण्डादेश के लघुकरण पर दण्डनीय है ।

धारा 65- जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किये जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि- यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय हो, तो वह अवधि, जिसके लिये जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिये न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, कारावास की उस अवधि की एक-चौथाई से अधिक न होगी जो अपराध के लिये अधिकतम नियत है ।

---

1. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1921 सं. 16 के द्वारा निरसित |

धारा 66- जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाये- वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिये अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिये दण्डाविष्ट किया जा सकता था ।

धारा 67- जुर्माना न देने पर कारावास,जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो- यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिये अधिरोपित करे, सादा होगा और वह अवधि, जिसके लिये जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिये न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे; निम्न मापमान से अधिक नहीं होगी, अर्थात्, - जबकि जुर्माने का परिमाण पचास रूपये से अधिक न हो तब दो मास से अनधिक कोई अवधि, तथा जबकि जुर्माने का परिमाण एक सौ रूपये से अधिक न हो तब चार मास से अनधिक कोई अवधि, तथा किसी अन्य दशा मे छह मास से अनधिक कोई अवधि

धारा 68- जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना- जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिये अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जायेगा, जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाये या विधि की प्रकिया द्वारा उद्गृहीत कर लिया जाये ।

सार-संग्रह

जुर्माना जमा करने की जो अवधि है उसमें विस्तार करने का न्यायालय को अधिकार नहीं माना गया| याचिकाकारगण को भारतीय दंड सहिता की धारा 68 के प्रावधान के तहत उपचार हासिल करना चाहिए। इस आशय का (प्रह्लाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2009 (3) म.प्र.लॉ. ज. 435 म.प्र.)

धारा 69- जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिये जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान- यदि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिये नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्गृहीत कर लिया जाये कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो, वह जुर्माने के तब तक न चुकाये गये भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जायेगा ।

धारा 70- जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्गृहणीय होना- सम्पत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती- जुर्माना या उसका कोई भाग, जो चुकाया न गया हो, दण्डादेश दिये जाने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दण्डादेश के अधीन छह वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय, उद्गृहीत किया जा सकेगा, और अपराधी की मृत्यु किसी भी सम्पत्ति को, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऋणों के लिये वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती ।

धारा 71 - कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिये दण्ड की अवधि- जहां कि कोई बात, जो अपराध है, ऐसे भागों से, जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दण्ड से दण्डित न किया जायेगा, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो ।

जहां कि कोई बात अपराधों को परिभाषित या दण्डित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा

जहां कि कई कार्य, जिसमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं;

वहां अपराधी को उससे गुरुत्तर दण्ड से दण्डित न किया जायेगा, जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिये वह न्यायालय, जो उसका विचारण करे, उसे दे सकता हो ।

धारा 72- कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिये दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है- उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किन्तु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है, यदि वही दण्ड सब अपराधों के लिये उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिये दण्डित किया जायेगा, जिसके लिये कम से कम दण्ड उपबंधित किया गया है ।

धारा 73- एकान्त परिरोध- जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्धि ठहराया जाता है जिसके लिये न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दण्डादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दण्डादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के, जिसके लिये वह दण्डादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिये, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक के न होंगे निम्न मापमान के अनुसार एकान्त परिरोध में रखा जायेगा, अर्थात-

यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक न हो तो एक मास से अनधिक समय;

यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक हो और एक वर्ष से अधिक न हो तो दो मास से अनधिक समय,

यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो तीन मास से अनधिक समय ;

धारा 74- एकान्त परिरोध की अवधि- एकान्त परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में चौदह दिन से अधिक न होगा, साथ ही ऐसे एकान्त परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अन्तराल होंगे और दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिये गये सम्पूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकान्त परिरोध सात दिन से अधिक न होगा, साथ ही एकान्त परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों के अन्यून अन्तराल होंगे ।

धारा 75 - पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड- जो कोई व्यक्ति-

(क) [1][भारत] में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिये, [2][***]

(ख) [5][***]

दोषसिद्धि ठहराये जाने के पश्चात् उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिये वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिये [7][आजीवन कारावास] से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

अध्याय 4

साधारण अपवाद

धारा 76- विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आपको विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिये विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 3 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1951 के अधिनियम सं. 3 के द्वारा शब्द"अथवा" का लोप
3. 1951 के अधिनियम सं. 3 के द्वारा लोप
4. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 1.1.1956 से प्रभावी |

के लिए विधि द्वारा आबद्ध है |

धारा 77- न्यायिकत: कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो न्यायिकत: कार्य करते हुये न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है ।

धारा 78- न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य- कोई बात, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाये या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश से प्रवृत्त रहते की जाये, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी ।

धारा 79- विधि वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये, जो उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत है ।

धारा 80- विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना- कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है ।

धारा 81- कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिये किया गया है- कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुये की गई है कि उससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के

बिना और व्यक्ति या सम्पत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो ।

स्पष्टीकरण- ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य, जिससे यह जानते हुये कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था |

धारा 82- सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो सात से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है ।

धारा 83- सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सकें |

धारा 84- विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है ।

धारा 85- ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है- कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परन्तु, यह तब कि वह चीज, जिससे उसकी मत्तता हुई है उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी

धारा 86- किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है- उन दशाओं, में जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो । कोई व्यक्ति जो कार्य वह मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन हो मानों उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो ।

धारा 87 - सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो- कोई बात, जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्त्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना सम्भाव्य है, किसी ऐसी उपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त या चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्त्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्त्ता को ज्ञान हो कि वह उपर्यक्त जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी सम्भाव्य है ।

धारा 88- किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है- कोई बात, जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिये वह बात सद्भावनापूर्वक की जाये और जिसने

उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिये चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्ता को ज्ञात हो ।

धारा 89- संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भाव-पूर्वक किया गया कार्य- कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु के या विकृत-चित्त व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या कि अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाये, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है, जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्त्ता का आशय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्त्ता को ज्ञात हो:

परन्तुक- परन्तु -

पहला- इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा ;

दूसरा- इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग-शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि इससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है ;

तीसरा- इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने, घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग-शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो;

चौथा- इस अपवाद का किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है ।

धारा 90- सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है- कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन, या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरुप वह सम्मति दी गई थी; अथवा

उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति- यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त-विकृति या मत्तता के कारण उस बात की, जिसके लिये वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा

शिशु की सम्मति- जब तक कि सन्दर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो बारह वर्ष से कम आयु का है ।

धारा 91- ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध है- धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यो पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध है जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का आशय हो, या कारित होने की सम्भाव्यता, ज्ञात हो।

धारा 92- सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य- कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक, यद्यपि उसकी सम्मति के बिना, की गई है, ऐसी किसी अपहानि के

कारण, जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाये, अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिये यह असम्भव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिये असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना सम्भव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके ;

परन्तुक- परन्तु-

पहला- इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा;

दूसरा- इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग-शैथिल्य से, मुक्त करने के, प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा, जिसे करने वाला व्यक्ति जनता हो कि उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है;

तीसरा- इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा;

चौथा- इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है |

स्पष्टीकरण- केवल धन सम्बन्धी फायदा वह फायदा नहीं है, जो धारा 88, 89 और 92 के अर्थ के भीतर आता है ।

धारा 93- सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना- सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिये दी गई हो ।

धारा 94- वह कार्य जिसको करने के लिये कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है- हत्या और मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, छोडकर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये, जो उसे करने के लिये ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि कार्य का परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाये, परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो, जिससे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है ।

स्पष्टीकरण-1- वह व्यक्ति, जो स्वयं अपनी इच्छा से, या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुये सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिये विवश किया गया था जो विधिना अपराध है ।

स्पष्टीकरण-2- डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहीत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिये, जो विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ, एक लुहार, जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिसमें डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिये हक दार है ।

धारा 95- तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य- कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा ।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

धारा 96- प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें- कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है ।

धारा 97- शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार- धारा 99 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अध्यधीन, हर व्यक्ति को अधिकार है की वह-

पहला- मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे;

दूसरा- किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम, चाहे स्थावर सम्पत्ति की प्रतिरक्षा करे ।

धारा 98- ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो- जबकि कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त-विकृति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता ।

धारा 99- कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है- यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुये लोक-सेवक द्वारा किया जाता है या किये जाने का प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो ।

यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुये लोक-सेवक के निर्देश से किया जाता है, या किये जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि-अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो ।

उन दशाओं में, जिनमें सुरक्षा के लिये लोक-प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिये समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है ।

इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार- किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण 1- कोई व्यक्ति किसी लोक-सेवक द्वारा ऐसे लोक-सेवक के नाते किये गये, या किये जाने के लिये प्रयतित, कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो, कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक-सेवक है ।

स्पष्टीकरण 2- कोई व्यक्ति किसी लोक-सेवक के निदेश से किये गये, या किये जाने के लिये प्रयतित, किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, तब तक कि वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता हो, कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निदेश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है, जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे |

धारा 100- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने पर कब होता है- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रखते हुये, हमलावर की स्वेच्छया मृत्युकारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिनपश्चात् प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात -

पहला- ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा;

दूसरा- ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा;

तीसरा- बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला;

चौथा- प्रकृति-विरुद्ध काम-तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला;

पांचवां- व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला;

छटा- इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिये लोक-प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

[1]**[सातवां-** अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरुप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी |]

धारा 101- कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है- यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता, किन्तु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है ।

धारा 102- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त

आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है ।

धारा 103- कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने तक का होता है- सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 99 में वर्णित निबन्धनों के अध्यधीन दोषकर्त्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किये जाने के, या किये जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिनपश्चात् प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात-

पहला- लूट

दूसरा- रात्रि गृह-भेदन,

तीसरा- अग्नि या अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जनयान को की गई है, जो मानव आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है,

चौथा- चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश- धारा 103 में, चतुर्थ खंड के उपरांत निम्नानुसार खंड जोड़े-

"पांचवाँ-अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से इन पर कारित रिष्टि-

(क) शासन या स्थानीय प्राधिकारी या शासन के स्वत्वाधीन या नियंत्रित अन्य निगम के प्रयोजन के लिए उपयोगित या उपयोगित होने के लिए आशयित, या ।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3 के खंड (4) में यथा परिभाषित कोई रेलवे या रेलवे स्टोर (विधिविरुद्ध आधिपत्य) अधिनियम, 1555 में यथा परिभाषित रेलवे स्टोर्स, या

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 2 के खंड (33) में यथापरिभाषित कोई परिवहन यान (उक्त संशोधन उ.प्र. अधिनियम 1970 सं. 29 के द्वारा किया गया । 17.7.1970 से प्रभावी ।)

---

*वर्तमान में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2(47)

धारा 104- ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है- यदि वह अपराध, जिसके किये जाने या जिसके किये जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति की न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता,किन्तु उसका विस्तार

धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता को मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है |

धारा 105- सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना- सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारम्भ होता है, जब सम्पत्ति के संकट की युक्ति-युक्त आशंका प्रारम्भ होती है ।

सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के सम्पत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक-प्रधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या सम्पत्ति प्रत्युद्धृत हो जाने तक बना-रहता है ।

सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है ।

सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है ।

सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृह भेदन से आरम्भ हुआ गृह अतिचार होता रहता है ।

धारा 106- घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है- जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है ।

अध्याय 5

दुष्प्रेरण के विषय में

धारा 107- किसी बात का दुष्प्रेरण- वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो-

पहला- उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा- उस बात को करने के लिये किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाय; अथवा

तीसरा- उस बात के किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है |

स्पष्टीकरण 1- जो कोई व्यक्ति जान-बूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण 2- जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है, और एतद्द्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

धारा 108- दुष्प्रेरक- वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता ।

स्पष्टीकरण 1- किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध .की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिये स्वयं आबद्ध न हो ।

स्पष्टीकरण 2- दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो ।

स्पष्टीकरण 3- यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी संपित आशय या ज्ञान हो ।

स्पष्टीकरण- 4- अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण भी अपराध है |

स्पष्टीकरण- 5- षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि दुष्प्रेरक उस अपराध को रोकने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाय | यह पर्याप्त है की उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है |

धारा 108क- भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण- वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो, [1][भारत] से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का [1][भारत] में दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा, यदि [1][भारत]में किया जाए ।

धारा 109- दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरुप किया जाए, और जहां कि उस दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध नहीं है- जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है ।

स्पष्टीकरण- कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्परूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

धारा 110- दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है- जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय से या ज्ञान से किया जाता ।

धारा- 111- दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है - जब कि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो :

परंतुक- परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है ।

धारा 112- दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय .है- यदि वह कार्य, जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराध में से हर एक के लिए दंडनीय है ।

धारा 113- दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक को दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो- जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य के दुष्प्रेरण उसी प्रभाव से कारित करने के आशय से किया हो परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह वह प्रभाव कारित होना संभाव्य है ।

धारा 114- अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति- जब कभी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्परूप दंडनीय होता तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है ।

धारा 115- मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता- जो कोई मृत्यु या [1][आजीवन कारावास] से दंडनीय अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया हो तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दडनीय होगा ;

यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणामस्वरुप किया जाता है- और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

धारा 116- कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए- जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भाँति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

यदि दुष्प्ररेक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोकसेवक है, जिसका कर्त्तव्य अपराध निवारित करना हो- और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोकसेवक हो, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए, उपबंधित किसी भाँति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के लिए आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों दण्डित किया जाएगा ।

धारा 117- लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण- जो कोई लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 118- मृत्यु या आजीवन कारावासप से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना- जो कोई मृत्यु या [1][आजीवन कारावास] से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए;

ऐसे अपराध के किए जाने की [3][ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप या विगूढ़न द्वारा अथवा कोई अन्य रचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपायेगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है,

यदि अपराध कर दिया जाए- यदि अपराध नहीं किया जाए- यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और दोनों दशाओं में से हर एक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 119- किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक-सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्त्तव्य है- जो कोई लोक-सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना, जिसका निवारण करना ऐसे लोक-सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए,

ऐसे अपराध के किए जाने की [1][ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप या विगूढ़न द्वारा अथवा कोई अन्य रचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपायेगा] या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है,

यदि अपराध कर दिया जाए- यदि अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि से आधी तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से;

यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है- अथवा यदि वह अपराध मृत्यु या [3][आजीवन कारावास] से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी;

यदि अपराध नहीं किया जाए- अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 120- कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना- जो कोई उस अपराध का किया जाना, जो कारावास से दंडनीय है, सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए;

ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपायेगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता है,

यदि अपराध कर दिया जाए- यदि अपराध नहीं किया जाए- यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी और यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आठवें भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 5 क

आपराधिक षड़यंत्र

120 क- आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा- जब कि दो या अधिक व्यक्ति-

1. कोई अवैध कार्य, अथवा
2. कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा,

करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है: परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई और कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।

स्पष्टीकरण- यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है ।

120- ख- आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड- 1. जो कोई मृत्यु, [1][आजीवन कारावास] या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था ।

2. जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 6

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 121- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना- जो कोई [1][भारत सरकार] के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या [2][आजीवन कारावास] से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

121 क. धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र- जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर [1][***] या बाहर षड्यंत्र करेगा, या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा वह [2][आजीवन कारावास] से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से) भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1950 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |
3. 1957 के अधिनियम सं. 36 के द्वारा प्रतिस्थापित |
4. 1957 के अधिनियम सं. 36 द्वारा कोष्टक व अक्षर "(क)" लुप्त |

स्पष्टीकरण- इस धारा के अधीन षड्यंत्र पठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हुआ हो ।

धारा 122- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना- जो कोई [5][भारत सरकार] के विरुद्ध या तो युद्ध करने, युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह [6][आजीवन कारावास] से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 123- युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना- जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा, या

---

1. 1950 के विधि अनुकूल आदेश द्वारा कतिपय शब्द लुप्त |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |
3. 1950 के विधि अनुकूल आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |
4. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |

किसी अवैध लोप द्वारा, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाये, या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपायेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा ।

धारा 124- किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना- जो कोई भारत के [1][राष्ट्रपति] या किसी राज्य के [2][राज्यपाल] को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल [3][***] की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्पेरित करने या विवश करने के आशय से, ऐसे राष्ट्रपति या [4][राज्यपाल] [5][***] पर हमला करेगा, या उसका सदोष अवरोध करेगा, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

124 क. राजद्रोह- जो कोई बोले गये या

---

1. 1950 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |
3. 1956 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा "या राजप्रमुख" शब्द लुप्त |
4. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |
5. 1956 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा "या राजप्रमुख" शब्द लुप्त |

लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्यरुपण द्वारा या अन्यथा **[1][***] [2][भारत] [***]** में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह **[3][**आजीवन कारावास**]** से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-1- "अप्रीति" पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएँ आती है |

स्पष्टीकरण-2- घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण-3- घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती हैं ।

धारा 125- भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने बाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना- जो कोई **[7][**भारत सरकार**]** से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति

---

1. 1950 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा शब्द "हर मजेस्ट्री" लुप्त |
2. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |
3. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |
4. 1950 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 126- भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूट-पाट करना- जो कोई [4][भारत सरकार] से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूट-पाट करेगा, या लूट पाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूट पाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित, या ऐसी लूट-पाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण से भी दंडनीय होगा ।

धारा 127- धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूट-पाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना- जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से और इस प्रकार से प्राप्त की गई संपत्ति के समपहरण से भी दंडनीय होगा ।

धारा 128 -लोक-सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना- जो कोई लोक-सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए,

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |
2. 1950 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागने देगा, वह [1][आजीवन कारावास] से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 129- उपेक्षा से लोक-सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना- जो कोई लोक-सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा में ऐसे कैदी को किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसी कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 130- ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना- जो कोई जानते हुए किसी राजकैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, संश्रय देगा या छिपायेगा या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण - कोई राजकैदी या युद्ध कैदी, जिसे अपने पैरोल पर [5][भारत] मे कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है,

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |
3. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |

विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भगा है, यह तब कहा जाता है, जब वह उन सीमाओ से परे चला जाता है, जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है |

अध्याय 7

सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 131 - विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना- जो कोई [1][भारत] सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किया जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा वह [2][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "ऑफिसर", " सैनिक", और "वायुसैनिक" शब्दों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, जो यथास्थिति, आर्मी ऐक्ट, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नेवलडिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट 1934 (1934 का 34) एयरफोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन हो ।

धारा 132- विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए - जो कोई [5][भारत सरकार] की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक,

---

1. 1950 के विधि के अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |
3. विधिपूर्ण अनुकूल आदेश 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |

नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के विद्रोह हो जाए, तो वह मृत्यु से या [1] [आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

धारा 133 - सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण - जो कोई [4][भारत सरकार] की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

धारा 134- ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए- जो कोई [4][भारत सरकार] की सेना , नौसेना या वायुसेना के ऑफिसर, सैनिक, नौसेना, या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डित होगा |

धारा 135- सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक अभित्यजन का दुष्प्रेरण- जो कोई [4] [भारत सरकार] की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |
2. 1950 के विधि के अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 136- अभित्याजक को संश्रय देना- जो कोई सिवाय एतस्मिन् पश्चात् यथा-अपवादित के, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि [1][भारत सरकार] की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिकं को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अपवाद- इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है ।

धारा 137- मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक- किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का, जिस पर [1][भारत सरकार] की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ हो मास्टर या भार-साधक व्यक्ति, यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दंडनीय होगा, जो पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगी, यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था, किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भार-साधक व्यक्ति के नाते उसके कर्त्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था ।

धारा 138- सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण- जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह [1][भारत सरकार] की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का कार्य जानता हो, यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस

---

1. 1950 के विधि के अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 138- क ..... [1] [निरसित]

धारा 139- कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति- कोई व्यक्ति जो आर्मी एक्ट, या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) नेवलडिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, 1934 (1934 का 34) एयरफ़ोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है ।

धारा 140- सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना- जो कोई [3]**[**भारत सरकार**]** की सैन्य, नाविक या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सदृश्य हो, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अध्याय 8

लोक-प्रशांति के विरूद्ध अपराधों के विषय में

धारा 141 - विधिविरुद्ध जमाव- पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधिविरुद्ध जमाव" कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का,

---

1. 1934 के संशोधित अधिनियम सं. 35 द्वारा निरसित |
2. 1950 के विधि के अनुकूल आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो-

पहला- [1]**[** केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को, या किसी राज्य के विधान मंडल**]** को या किसी लोक-सेवक को जब कि किसी ऐसे लोक-सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, अथवा

दूसरा- किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा

तीसरा- किसी रिष्टी या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा

चौथा- किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना, या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा -

पाँचवाँ- आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रुप से आबद्ध न हो या उसका लोप, करने के लिए जिसे करने का वह वैध रुप से हकदार हो विवश करना ।

स्पष्टीकरण- कोई जमाव, जो इक्ट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद को विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा।

धारा 142- विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना- जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुये जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है ।

धारा 143- दण्ड- जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 144- घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना- जो कोई किसी घातक आयुध से ,या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामण आयुध के रुप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुये किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 145- किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुये कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना- जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुये कि ऐसे विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा, या बना रहेगा,वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 146- बल्वा करना- जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने मे बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा |

धारा 147 - बल्वा करने के लिये दण्ड - जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

म.प्र./ छत्तीसगढ़ राज्य संशोधन- म.प्र. राज्य के वर्ष 1999 के अधिनियम क्रमाक 17 दिनांक 21.5.1999 से प्रभावी, संशोधन के द्वारा भा.द.सं की धारा 148 के अपराध को न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है शमनीय किया गया है परन्तु अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया हो, जो शमनीय नहीं है ।

धारा 148- घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना- जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

राज्य संशोधन

म.प्र./छत्तीसगढ़ राज्य संशोधन- म.प्र. राज्य के वर्ष 1999 के अधिनियम क्रमांक 17 दिनांक 21.5.1999 से प्रभावी, संशोधन के द्वारा भा.द.सं. की धारा 148 के अपराध को न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है शमनीय किया गया है परन्तु अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया हो जो शमनीय नहीं है ।

धारा 149 - विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी- यदि विधिविरुद्ध तमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।

धारा 150- विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिये व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता- जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिये भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या उसके प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रुप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था ।

धारा 151- पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मलित होना या बने रहना- जो कोई पाँच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शान्ति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिये जाने पर, जानते हुये सम्मलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण- यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अन्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी धारा 145 के अधीन दण्डनीय होगा ।

धारा 152- लोक-सेवक जब बल्वा इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना- जो कोई ऐसे किसी लोक-सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक-सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक-सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करनें की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन बर्ष तक की होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा ।

धारा 153- बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाये-यदि बल्वा न किया जाये- जो कोई अवैध बात करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुये करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरुप बल्वे का अपराध किया जायेगा, यदि ऐसे प्रकोपन, के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाये तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष

तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, और यदि बल्वे का अपराध न किया जाये तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से,जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी,या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

[1]**[धारा 153-क. धर्म, मूलवंश, जन्म- स्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना-** (1) जो कोई-

(क) बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्यरुपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनायें, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक- प्रशांति में विघ्न डालता है, या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो, [3][अथवा]

[3](ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किये जाऐगे या यह सम्भाव्य जानते हुये संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किये जाएंगे अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि

---

1. धारा 153क अधिनियम सं. 41 द्वारा (12.9.196 से प्रभावी |) प्रतिस्थापित एवं 1969 के अधनियम सं. 35 द्वारा (4.9.1969 से प्रभावी) पूर्व की धारा के स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित |
2. 1972 के अधिनियम सं. 31 द्वारा अन्तः स्थापित | 14.6.1972 से प्रभावी |

किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या गीत या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किया जाए, या यह सम्भाव्य जानते हुये भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप मे भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किये जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है,]

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

(2) पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध - जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव मे, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।**]**

[1][**153 -कक. किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिये दण्ड-** जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144-क के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण या आयुध सहित जानबूझकर संचालन, आयोजन करता है और उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेंगा दंडित किया जाएगा ।

---

1. 2005 के अधिनियम सं. 25 द्वारा अन्तः स्थापित |

स्पष्टीकरण- "आयुध" से अपराध या बचाव के लिए हथियार के रुप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अग्नि शस्त्र, नुकीली धार वाला हथियार, लाठी, डण्डा और छड़ी भी है ।**]**

[1][**153-ख. राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान-** (1) जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्यरुपणों द्वारा या अन्यथा-

(क) ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा

(ख) यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रुप में उनके अधिकार न दिए जाएँ या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा

(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के सम्बन्ध में इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक् करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों

---

1. अधिनियम संख्या 31 सन् 1972 द्वारा अन्तः स्थापित | 14.6.1972 से प्रभावी |

तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी सम्भाव्य हैं,

वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा | **]**

154. उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है- जब कभी कोई विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा हो, तब जिस भूमि पर ऐसा विधिविरुद्ध जमाव हो या ऐसा बल्वा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति एक हजार

रूपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबन्धक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है, उस बात को अपनी शक्तिभर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को दे या न दें और उस दशा में, जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्तिभर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या नहीं करते और उसके हो जाने पर अपनी शक्तिभर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिविरुद्ध जमाव को बिखरने या बल्वे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते |

155. उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है- जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से दण्डनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबन्धक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बल्वा किया जाना सम्भाव्य था, या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था, वह जमाव किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शाक्तिभर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बल्वे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।

156. उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है- जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी हो, या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबन्धक जुर्माने से दण्डनीय होगा, यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबन्धक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बल्वे का किया जाना सम्भाव्य था, या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था उसका किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शक्तिभर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बल्वे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।

157. विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना- जो कोई अपने अधिभोग या भारसाधन, या नियन्त्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को, यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए है या भाड़े पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संश्रय देगा, आने देगा या समिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

158. विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना- जो कोई धारा 141 मे विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा,

या सशस्त्र चलना- तथा जो कोई पूर्वोक्त प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर, किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रुप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित होकर चलेगा या सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

159 दंगा- जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़ कर लोक शान्ति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है -कि वे 'दंगा' करते हैं ।

160 दंगा करने के लिए दण्ड- जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अध्याय 9

लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 161 से धारा 165क को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 संख्या 49 द्वारा निरसित किया गया ।

धारा 166 - लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है- जो कोई लोक-सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक-सेवक के नाते उसे आचरण करना है जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुये करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी,या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

[1]**[धारा 166 क. लोक-सेवक जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है-** जो कोई लोक-सेवक होते हुए-

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश की, जो उसको अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है;

दंड विधि (संशोधन) अधिनयम, 2013 द्वारा अन्तः स्थापित | दिनांक 3.2.13 से प्रभावी |

या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमे वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुय अवज्ञा करता है; या

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन और विशिष्टतया धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ की उपधारा (2), धारा 370क ,धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ. धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में उसे दी गयी किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

166ख. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड- जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357ख के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा |]

धारा 167- लोक सेवक, जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है- जो कोई लोक-सेवक होते हुए और 1 [ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का

---

1. वर्ष 2000 के अधिनियम सं. 21 द्वारा प्रतिस्थापित |

विनिर्माण, रचना या अनुवाद] ऐसे प्रकार से जिसे वह जनता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि एतद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |

धारा 168- लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है - जो कोई लोक-सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा

धारा 169- लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिये बोली लगाता है - जो कोई लोक-सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते इस बात के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक सम्पत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिये बोली लगाये, या तो अपने निजी नाम मे या किसी दूसरे के नाम मे, अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अंशों में, उस सम्पत्ति को क्रय करेगा, या उसके लिए बोली लगाएगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह सम्पत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहृत कर ली जाएगी ।

धारा 170 - लोक सेवक का प्रतिरूपण - जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नातेधारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का हृदय प्रतिरूपेण करेगा और ऐसा बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171 - कपटपूर्ण आशय से लोक-सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना- जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुये, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाये, कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग मे लायी जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा, या टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा, वह दोनों

में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अध्याय 9-क

निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

धारा 171 क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये-

[1]**[**(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में नाम निर्देशित किया गया हो; **]**

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।

धारा 171-ख. रिश्वत- (1) जो कोई-

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिये इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; अथवा

---

1. 1975 के अधिनियम सं. 40 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 6.8.1975 से प्रभावी |

(ii) स्वयं अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिये इनाम के रुप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है

परन्तु लोकनीति की घोषणा या लोक- कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा ।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है ।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिये जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरुप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिये इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रुप में प्रतिगृहीत किया है ।

धारा 171-ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना- (1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई-

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवीय अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या, बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है ।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्क्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

धारा 171-घ. निर्वाचनों में प्रतिरुपण- जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मत-पत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकाने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम के मत-पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरुपण का अपराध करता है :

[1][परंतु यह तब जबकि, इस धारा में का कुछ भी, उस व्यक्ति को लागू नहीं होगा, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत, किसी मतदाता के लिए, परोक्षी के रुप में, मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जहाँ तक, वह ऐसे मतदान के लिए एक परोक्षी के रुप में मतदान करता है ।]

धारा 171-ङ. रिश्वत के लिये दण्ड- जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा : परन्तु सत्कार के रुप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण- 'सत्कार' से रिश्वत का वह रुप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय,मनोरंजन या रसद के रुप में है ।

धारा 171-च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण के लिये दण्ड- जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171-छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन- जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171-ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय- जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किये हों, जो कुल मिलाकर दस रुपये से अधिक न हो, उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसे व्यय किये गये हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किये हैं |

धारा 171-झ. निर्वाचन-लेखा रखने में असफलता- जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

अध्याय 10

लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा 172. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिये फरार हो जाना- जो कोई किसी ऐसे लोक-सेवक द्वारा निकाले गये समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक-सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रुप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि समन या सूचना या आदेश [1][किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्त्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिये हो] तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूप ये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 173. समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना- जो कोई किसी लोक-सेवक द्वारा जो लोक-सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिये वैध रुप से सक्षम हो निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा,

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |

अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा,

अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि वह विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाएगा,

अथवा किसी ऐसे लोक-सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा, जो ऐसे लोक-सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिये वैध रुप से सक्षम हो,

वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी,या जुर्माने से जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा [1][किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए हो] तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 174. लोक-सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहना- जो कोई किसी लोक-सेवक द्वारा निकाले गये उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में, जिसे ऐसे लोक-सेवक के नाते निकालने के लिये वह वैध रुप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्त्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए,

2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |

उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साशय लोप करेगा, या उस स्थान से, जहां हाजिर होने के लिये वह आबद्ध है, उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिये विधिपूर्ण होता,

वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि समन, सूचना,आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिये है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |

[3][**174 क- 1974 के अधिनियम 2 धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा उत्तर में गैर-हाजिरी-** जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, तो वह कारावास से,

---

1. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 2005 के अधिनियम सं. 25 के द्वारा अंतःस्थापित | दिनांक 23-6-2006 से प्रभावी |

जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा और जहाँ उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रुप में घोषित किया गया है, वहाँ वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।**]**

धारा-175 - [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] पेश करने के लिए वैध रुप से आबद्ध व्यक्ति का लोक-सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप- जो कोई किसी लोक-सेवक को, ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] को पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए, उसको इस प्रकार पेश करने या परिदत्त करने का साशय

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |

लोप करेगा, वह सदा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि वह [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] किसी न्यायालय में पेश या परिदत्त की जानी हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-176 -सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रुप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक-सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप- जो कोई किसी लोक-सेवक को ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तिला देने के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा करावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |
2. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 565 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-177- मिथ्या इत्तिला देना- जो कोई किसी लोक-सेवक को ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रुप में ऐसी इत्तिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि वह इत्तिला, जिसे देने के लिए वह वैध रुप से आबद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकण- धारा 176 में और इस धारा में, "अपराध" शब्द के अंतर्गत [1][भारत] से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है जो यदि [1][भारत] में किया जाता, तो निम्नलिखित धारा, अर्थात 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, और 460

में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता; और "अपराधी" शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, जो कोई ऐसा कार्य करने का दोषी अभिकथित हो ।

धारा-178 - शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक-सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रुप से अपेक्षित किया जाए- जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आपको आबद्ध करने से इंकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक-सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक कीं हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-179-प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक-सेवक का उत्तर देने से इंकार करना- जो कोई किसी लोक-सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रुप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक-सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक-सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-180-कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार- जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक-सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए वैध रुप से सक्षम हो कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे, उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-181 - शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक-सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन- जो कोई किसी लोक-सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रुप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक-सेवक या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा- 182 - इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक-सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के लिए करे- जो कोई किसी लोक-सेवक को कोई ऐसी इत्तिला, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक-सेवक को प्रेरित करे या यह संभाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको एतद्द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक-

(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे इस संबंध मे, जिसके बारे में ऐसी इत्तिला दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा

(ख) ऐसे लोक-सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो,

वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-183 - लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध- जो कोई किसी लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति के ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक-सेवक है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-184 -लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गयी संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना- जो कोई ऐसी किसी संपत्ति के विक्रय में, जो ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई हो, साशय बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-185 -लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना- जो कोई संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक-सेवक के नाते लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या अन्य कोई हो, किसी संपत्ति का क्रय करेगा, या किसी संपत्ति के लिए बोली लगायेगा, जिसके बारे में वह यह जानता हो कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति के क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशय रखकर बोली लगाएगा कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आपको को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-186 -लोक-सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना- जो कोई किसी लोक-सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

राज्य संशोधन

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33205-F.No.6-59-74B-XXI 19.11.1975 के द्वारा धारा 186 के तहत अपराध संज्ञेय है । (अवलोकन करे -म.प्र. राजपत्र, भाग 1 दिनांक 12.3.1976)

धारा-187- लोक-सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो- जो कोई किसी लोक-सेवक को, उसके लोक कर्त्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुँचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

और यदि ऐसी सहायता की माँग उससे एक लोक-सेवक द्वारा, जो ऐसी माँग करने के लिए वैध रुप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रुप से निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन, के या अपराध के किए जाने का निवारण करने के या बल्वे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध

का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजन से की जाए, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि छ: मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-188 -लोकसेवक द्वारा सम्यक् रुप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा- जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक-सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, वह कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबंधाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा |

यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ, या क्षति, अथवा बाधा क्षोभ या क्षति की जोखिम, कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बल्वा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छ: मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभाव्य है । यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है ।

राज्य संशोधन

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33207-F.No.6-59-74-B-XXI दिनांक 19.11.1975 के द्वारा धारा 188 के तहत अपराध अजमानतीय है । (अवलोकन करें-म.प्र. राजपत्र, भाग 1 दिनांक 12.3.1976)

धारा-189 -लोक-सेवक को क्षति करने की धमकी- जो कोई किसी लोक-सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक-सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक-सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक-सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलंब करे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

राज्य संशोधन

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33207-F.No.6-59-74-B-XXI दिनांक 19.11.1975 के द्वारा धारा 188 के तहत अपराध अजमानतीय है । (अवलोकन करें-म.प्र. राजपत्र, भाग 1 दिनांक 12.3.1976)

धारा -190 - लोक-सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी- जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि वह उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे कि वह किसी क्षति से संरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन किसी ऐसे लोक-सेवक से करने से

विरत रहे, या प्रतिविरत रहे जो ऐसे लोक-सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए वैध रुप से सशक्त हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

राज्य संशोधन

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33205-F.No.6-59-74-B-XXI दिनांक 19.11.1975 के द्वारा धारा 190 के तहत अपराध संज्ञेय है । (अवलोकन करें -म.प्र. राजपत्र, भाग 1 दिनांक 12.3.1976)

अध्याय 11

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध

अपराधों के विषय में

धारा-191 -मिथ्या साक्ष्य देना- जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रुप से आबद्ध हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण- 1 -कोई कथन चाहे वह मौखिक हो, या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण- 2 - अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है, जिस बात का उसे विश्वास नहीं है तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य का दोषी हो सकेगा ।

धारा-192 - मिथ्या साक्ष्य गढ़ना- जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या [1]**[**किसी पुस्तक या अभिलेख में या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचता है**]** कि ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही में, जो लोक-सेवक के समक्ष उसके

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |

उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह "मिथ्या साक्ष्य गढता है" यह कहा जाता है ।

धारा-193 - मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड - जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से, मिथ्या

साक्ष्य गढ़ेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा,

और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- 1 - सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है ।

स्पष्टीकरण- 2 - न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।

स्पष्टीकरण-3- न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।

धारा 194- मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना- जो कोई [1]**[** भारत**]** में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने के आशय से या संभाव्यतः एतद्द्वारा दोषसिद्ध कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या

साक्ष्य देगा या गढ़ेगा वह [2]**[**आजीवन कारावास**]** से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि निर्दोष व्यक्ति एतद्द्वारा दोषसिद्ध किया जाए और उसे फाँसी दी जाए- और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरुप दोषसिद्ध किया जाए, और उसे फाँसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा, या तो मृत्युदंड या एतस्मिन्पूर्व वर्णित दंड दिया जाएगा ।

धारा 195 - आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना- जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि एतद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो किंतु [2]**[**आजीवन कारावास**]** या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोषसिद्ध कराए, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोषसिद्ध होता ।

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

[3]**[धारा 195 क. [4][किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना]-** जो कोई, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है, कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा;

और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति, जो धमकी देता है, उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दण्डादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दण्डित और दण्डादिष्ट किया गया है ।

धारा 196- उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है- जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रुप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।

धारा-197 -मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना- जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र, जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण-पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण-पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 2006 के अधिनियम सं. 2 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 16.4.2006 से प्रभावी |
3. शुद्धि पत्र दिनांकित 3 मार्च 2006 के द्वारा दुरुस्त |

धारा-198 - प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना- जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सच्चे प्रमाण पत्र के रुप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

धारा-199- ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रुप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन- जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा मे, जिसको किसी तथ्य के साक्ष्य के रुप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक-सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो कोई ऐसा कथन करेगा, जो किसी ऐसी बात के संबंध में, जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

धारा-200- ऐसी धोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रुप में काम में लाना- जो कोई किसी ऐसी घोषणा को, यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, भ्रष्टतापूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो|

स्पष्टीकरण- कोई घोषणा, जो केवल किसी अप्ररुपिता के आधार पर अग्राह्य है धारा 199 और धारा 200 के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है ।

धारा-201- अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना- जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के

किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है ।

यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो- यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि आजीवन कारावास से दंडनीय हो- और यदि वह अपराध [1][आजीवन कारावास] से, या ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो- और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो, जो दस वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से उतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 202- इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप- जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तिला जिसे देने के लिए वह वैध रुप से आबद्ध हो, देने का साशय लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छ मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 203- किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना- जो कोई यह जानते हुए, यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, कि कोई अपराध किया गया है उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- धारा 201 और 202 में और इस धारा में "अपराध" शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात् 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, तथा 460 में से किसी भी धारा के अधीन दंडनीय होगा ।

धारा 204 - साक्ष्य के रुप में किसी [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना- जो कोई किसी ऐसे [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में, जो किसी लोक-सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रुप में पेश करने के लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके, या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक-सेवक के समक्ष साक्ष्य के रुप में पेश किए जाने या उपयोग में लाये जाने से निवारित करने के आशय से, या उस प्रयोजन के लिए उस [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख], को पेश करने को उसे विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात् ऐसी संपूर्ण [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] को, या उसके किसी भाग को मिटाएगा, या ऐसा बनाएगा, जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा 205- वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण- जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे हुए रुप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा, या दावे की संस्वीकृति करेगा, या कोई आदेशिका निकलवायेगा या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा, या कोई अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारवास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा |

धारी 206- संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना-. जो कोई किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा, कि तद्द्वारा वह उस संपत्ति या उसमे के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, समपहरण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 207- संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा - जो कोई किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, या उस पर दावा करेगा अथवा किसी संपत्ति या उसमें किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस आशय से प्रवंचना करेगा कि तद्द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के हित का ऐसे दंडादेश के अधीन, जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या किसी अन्य समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, समपहरण के रुप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना, या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 208- ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना- जो कोई किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिए, जो ऐसे व्यक्ति को शोध्य न हो या शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति के हित के लिए, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवायेगा, या पारित किया जाना सहन करेगा अथवा किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिये जाने के पश्चात् या किसी ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवायेगा या किया जाना सहन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 209- बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना- जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दवा करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 210- ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना- जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, या जो शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी संपत्ति या संपत्ति के हित के लिए, जिसका वह हकदार न हो, डिक्री या आदेश को कपटपूर्वक अभिप्राप्त कर लेगा या डिक्री या आदेश को, उसके तुष्ट कर दिये जाने के पश्चात् या ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवायेगा या अपने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करेगा या किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 211- क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप- जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;

तथा यदि ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, [1]**[**आजीवन कारावास**]** या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-212 -अपराधी को संश्रय देना- जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा;

यदि अपराध मृत्सु से दंडनीय हो- यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो- और यदि वह अपराध [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दस वर्ष तक के कारावास से, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के करावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, दंडिन किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

और यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो यह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

इस धारा में "अपराध" के अंतर्गत [1][भारत] से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है, जो यदि [1][भारत] में किया जाता तो निम्नलिखित धारा, अर्थात 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 और 460 में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे [1][भारत] में करने का दोषी था ।

अपवाद- इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमे अपराधी हो संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो ।

धारा 213- अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना- जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए, प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या प्रतिगृहीत करने के लिए करार करेगा,

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित|

यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो- यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो- तथा यदि वह अपराध [1][आजीवन कारावास] या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

तथा यदि वह अपराध दस वर्ष से कम तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 214- अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन - जो कोई किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित|

किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित किए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न की जाने के लिए प्रतिफलस्वरुप कोई परितोषण देगा या दिलवाएगा या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करेगा, या [1][कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करेगा या कराएगा];

यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो- यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो- तथा यदि वह अपराध [3][आजीवन कारावास] से या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

तथा यदि वह अपराध दस वर्ष से कम तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाता ।

अपवाद- धारा 213 और 214 के उपबंधों का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें कि अपवाद का शमन विधिपूर्वक किया जा सकता है |

धारा 215-चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना- जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में, जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने या सहायता करने की बाबत कोई परितोषण लेगा या लेने का करार करेगा या लेने को सहमत होगा, वह, जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के लिए उपयोग में न लाए, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

---

1. 1953 के अधिनियम संख्यांक 42 के द्वारा प्रतिस्थापित|
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित|

धारा 216-ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है- जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे;

अथवा जब कभी कोई लोक-सेवक ऐसे लोक-सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देगा या छिपाएगा, वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा, अर्थात-

यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो- यदि वह अपराध, जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि आजीवन कारवास या कारावास से दंडनीय हो- यदि वह अपराध [1][आजीवन कारावास] से या दस वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा;

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित|

तथा यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो, जो एक वर्ष तक का, न कि दस वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भाँति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्धतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

इस धारा में "अपराध" के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है, जिसका कोई व्यक्ति [1][भारत] से बाहर दोषी होना अभिकथित हो, जो यदि वह [1][भारत] में उसका दोषी होता, तो अपराध के रुप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा [1][भारत] में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानों अभियुक्त व्यक्ति [1][भारत] में उसका दोषी हुआ था ।

अपवाद- इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नही है, जिसमें संश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो ।

216 क- लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति- जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को, ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सुकर बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 के द्वारा प्रतिस्थापित|

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती [1][भारत] में करनी आशयित है या की जा चुकी है या [1][भारत] के बाहर ।

अपवाद- इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें संश्रय देना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो ।

216-ख- भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1942 अधिनियम संख्या 8 सन् 1942 धारा 3 द्वारा निरसित की गई ।

धारा 217- लोक-सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा- जो कोई लोक-सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की, जो उस संबंध में हो कि उससे ऐसे लोक-सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा उतने दंड की अपेक्षा, जिससे वह दंडनीय है, तद्द्वारा कम दंड दिलवाएगा या संभाव्य जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या किसी भार से, जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 218- किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक-सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना- जो कोई लोक-सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए, उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना, जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है । लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा कारित करेगा यह जानते हुए अथवा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्धारा बचायेगा यह जानते हुए अथवा किसी सम्पत्ति के ऐसे समपहरण या अन्य भार से, जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति विधि के अनुसार है, बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 के द्वारा प्रतिस्थापित|

धारा-219- न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक-सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना- जो कोई लोक-सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देगा, या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 220- प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी- जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए, जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार हो किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा- 221 -पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप- जो कोई ऐसा लोक-सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक-सेवक के नाते वैध रुप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करेगा या ऐसे परिरोध में ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति को निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, वह निम्नलिखित रुप से दंडित किया जाएगा, अर्थात,

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था, वह [1][आजीवन कारावास] या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 के द्वारा प्रतिस्थापित|

धारा-222- दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप-. जो कोई ऐसा लोक-सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए ऐसे विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक-सेवक के नाते वैध रुप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकडने का साशय लोप करेगा, या ऐसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने का प्रयत्न करने में मदद करेगा, वह निम्नलिखित रुप से दंडित किया जाएगा, अर्थात

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था, वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी; अथवा

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर [1][आजीवन कारावास] या दस वर्ष तक की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष कम की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से |

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 के द्वारा प्रतिस्थापित|

धारा 223 -लोक-सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना- जो कोई ऐसा लोक-सेवक होते हुए, जो अपराध के लिए आरोपित या दोषसिद्ध [1][या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए] गए किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक-सेवक के नाते वैध रुप से आबद्ध हो, ऐसे व्यक्ति का परिरोध में से निकल भागना उपेक्षा से सहन करेगा, वह सादा कारावास से; जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 224 -किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा- जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसका उस पर आरोप हो, या जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करेगा, या अवैध बाधा डालेगा, या किसी ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागेगा, या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से

किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में उपबंधित दंड उस दंड के अतिरिक्त है जिससे वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो, या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना हो, उस अपराध के लिए दंडनीय था, जिसका उस पर आरोप लगाया गया था या जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया था ।

धारा 225 -किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा- जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में साशय

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 के द्वारा प्रतिस्थापित|

प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, साशय छुड़ायेगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;

अथवा यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुडाया गया हो, या जिसे छुडाने के लिए प्रयत्न किया गया हो, [1][आजीवन कारावास] से, या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से, दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा,

अथवा यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अथवा यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन, या वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर [1][आजीवन कारावास] या दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

अथवा यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुडाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, इतनी अवधि के लिए जो दस वर्ष से अनधिक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

225 क-उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना- जो कोई ऐसा लोक-सेवक होते हुए जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक-सेवक के नाते वैध रुप से आबद्ध हो उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 221, धारा 222, या धारा 223 अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध में से निकल भागना सहन करेगा-

(क) यदि वह ऐसा साशय करेगा, तो वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, तथा

(ख) यदि वह ऐसा उपेक्षा पूर्वक करेगा तो वह सादा कारावास, से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

225 ख- अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना- जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में साशय कोई प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह व्यक्ति विधिपूर्वक निरुद्ध हो, छुड़ायेगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, वह किसी ऐसी दशा में, जिसके

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 के द्वारा प्रतिस्थापित|

लिए धारा 224 या धारा 225 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में उपबंध नहीं है, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा- 226- [***] 1955 के अधिनियम 26 द्वारा निरसित ।

धारा- 227- दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण- जो कोई दंड का सशर्त परिहार प्रतिगृहीत कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था, जानते हुए, अतिक्रमण करेगा, यदि वह उस दंड का, जिसके लिए वह मूलतः दंडदिष्ट किया गया था, कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह दंड से और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो तो वह उस दंड के उतने भाग से, जितने को वह पहले ही न भोग चुका हो, दंडित किया जाएगा|

धारा- 228- न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न- जो कोई किसी लोक-सेवक का उस समय, जब कि ऐसा लोक-सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

राज्य संशोधन

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ संशोधन- अधिसूचना क्रमांक 33205-F.No.6-59-74-XXI दिनांक 19.11.1975 के द्वारा धारा 228 के तहत अपराध संज्ञेय है | (अवलोकन करें - म.प्र. राजपत्र, भाग 1 दिनांक 12.3.1976)

[1]**[228-क-कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति कि पहचान का प्रकटीकरण-** (1) जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध [2]**[**धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ या धारा 376ङ**]** के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के करावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

(2) उपधारा (1) की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या किसी अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकी है, तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन-

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अंवेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के, जो ऐसे अंवेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है, द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति द्वारा' या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है; या

(ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह अवयस्क या विकृत चित्त है, वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से, किया जाता है : परंतु निकट संबंधी द्वारा कोई ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है ।

---

1. 1983 के अधिनियम सं. 43 के द्वारा अंतः स्थापित | 25.12.1983 से प्रभावी |

2. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 3.2.13 से प्रभावी |

(3) जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात, उस न्यायलय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा|

स्पष्टीकरण- किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायलय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है | **]**

धारा -229- जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण - जो कोई किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा अपने को यह जानते हुए जूरी सदस्य या असेसर के रूप में तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ साशय कराएगा या होने देगा जानते हुए सहन करेगा कि वह इस प्रकार तलिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ होने का विधि द्वारा हक़दार नहीं है या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार तलिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है ऐसी जूरी में या ऐसे असेसर के रूप में स्वेच्छया सेवा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँती के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |

[1]**[229क. जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायलय में हाजिर होने में असफलता -** जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानत पर या अपने बंधपत्र पर छोड़ दिए जाने पर जमानत या बंधपत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायलय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में (वह साबित करने का भार उस पर होगा) असफल रहेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा |

स्पष्टीकरण- इस धारा के अधीन दण्ड -

(क) उस दण्ड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होगा; और

(ख) न्यायालय की बन्धपत्र के समपहरण का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है ।**]**

---

1. 2005 के अधिनियम सं. 25 के द्वारा अंतः स्थापित | दिनांक 23.6.2006 से प्रभावी |

अध्याय 12

सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा-230- सिक्का की परिभाषा- सिक्का, तत्समय धन के रुप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाये जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा, स्टाम्पित और प्रचालित धातु है ।

भारतीय सिक्का- [1]**[**भारतीय सिक्का धन के रुप में उपयोग में लाये जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु है; और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचालित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रुप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो ।**]**

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा-231 -सिक्के का कूटकरण- जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि एतद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह यह अपराध करता है ।

धारा-232 - भारतीय सिक्के का कूटकरण- जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह [1]**[**आजीवन का करावास**]** से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-233 -सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना- जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन, से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित|

धारा-234 -भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना- जो कोई किसी डाई या उपकरण को भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या वह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह [1][भारतीय सिक्के] के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा या सुधारेगा, या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-235 -सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना- जो कोई किसी उपकरण या सामग्री को सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि भारतीय सिक्का हो- और यदि कूटकरण किए जाने वाला सिक्का [3][भारतीय सिक्का] हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दडनीय होगा ।

---

1. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित|
2. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित|

धारा-236 -भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण- जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में किया हो ।

धारा-237 -कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात- जो कोई किसी कूटकृत सिक्के का यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटकृत है, [1][भारत] में आयात करेगा या भारत से बाहर निर्यात करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-238 -भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात- जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह [3][भारतीय सिक्के] की कूटकृति है, [1][भारत] में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, वह [4][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के करावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा- 239 - सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था- जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए जिसे वह उस समय, जब वह उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाए, उसे किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा, या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास में से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 3 द्वारा प्रतिस्थापित |

2. विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |
3. 1955 के अधिनियम सं. 26 द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |

धारा-240- उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था- जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए, जो [1][भारतीय सिक्के] की कूटकृति हो और जिसे वह उस समय, जब वह उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह [1][भारतीय सिक्के] की कूटकृति है, कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाए, उसे किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी दंडनीय होगा ।

धारा-241 -किसी सिक्के का असली सिक्के के रुप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था- जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा कूटकृत सिक्का, जिसका कूटकृत होना वह जानता हो, किंतु जिसका वह उस समय, जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया, कूटकृत होना नहीं जानता था, असली सिक्के के रुप में परिदान करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को उसे असली सिक्के के रुप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से, जो कूटकृत सिक्के के मूल्य के दस गुने तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

1. 1950 के विधि अनुकूलन द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा-242 - कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था, जब वह उसके कब्जे में आया था- जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को, जिसे वह उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-243 - भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था- जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को, जो [1][भारतीय सिक्के] की कूटकृति है और जिसे वह उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह [1][भारतीय सिक्के] की कूटकृति है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1950 विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा-244- टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है- जो कोई [1][भारत] में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करेगा, या उस कार्य का लोप करेगा, जिसे करने के लिए वैध रुप से आबद्ध हो, कि उस टकसाल में प्रचलित कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न मिश्रण या भिन्न वजन कारित हो,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-245- टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रुप से लेना- जो कोई [1][भारत] में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लायेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 246- कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना- जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करेगा, जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए, या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- वह व्यक्ति, जो सिक्के के किसी भाग को खुरच कर निकाल देता है, और उस गड्ढे में कोई अन्य वस्तु भर देता है, उस सिक्के का मिश्रण परिवर्तित करता है ।

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 3 के द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा 247- कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना- जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से [1][किसी भारतीय सिक्के] पर कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 248- इस आशय से किसी सिक्के का रुप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रुप में चल जाए- जो कोई किसी सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रुप में चल जाए, कोई ऐसी क्रिया करेगा, जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 249- इस आशय से भारतीय सिक्के का रुप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए- जो कोई [1][किसी भारतीय सिक्के] पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का रुप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 250- ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है- जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए, जिसके बारे में धारा 246 या धारा 248 में परिभाषित अपराध किया गया हो, और जिसके बारे में उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, वह यह जानता था कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का परिदत्त

1950 विधि अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित |

करेगा, या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिये उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 251- भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है- जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुये, जिसके बारे में धारा 247 या 249 में परिभाषित अपराध किया गया हो, और जिसके बारे में उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, वह यह जानता था कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है, कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाये, किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का परिदत्त करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिये उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 252- ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया- जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाये, ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा, जिसके बारे में धारा 246 या 248 में से किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो और जो उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, यह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 253- ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया- जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाये, ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा, जिसके बारे में धारा 247 या 249 में से किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो और जो उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, यह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 254- सिक्के का असली सिक्के के रुप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था- जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सिक्का, जिसके बारे में वह जानता हो कि कोई ऐसी क्रिया, जैसी धारा 246, 247 या 249 में वर्णित है, की जा चुकी है किन्तु जिसके बारे में वह उस समय, जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था, यह न जानता था कि उस पर ऐसी क्रिया कर दी गई है, असली के रुप में, या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रुप में, परिदत्त करेगा या असली के रुप में, या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रुप में, किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिये उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से, जो उस सिक्के की कीमत के दस गुने तक का हो सकेगा जिसके बदले में परिवर्तित सिक्का चलाया गया हो या चलाने का प्रयत्न किया गया हो, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 255- सरकारी स्टाम्प का कूटकरण- जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह [1][अजीवन का कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

स्पष्टीकरण- वह व्यक्ति इस अपराध को करता है, जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण करता है ।

धारा 256- सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना- जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिये प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित है, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 257- सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण बनाना या बेचना- जो कोई, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिये प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण बनायेगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेंगा या ऐसे किसी उपकरण को खरीदेगा, या बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 258- कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय- जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिये प्रचालित किसी स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 259 - सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना- जो कोई असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाने के या व्ययन करने के आशय से, या इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाया जा सके, किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा, जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 260 - किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाना- जो कोई किसी ऐसे स्टाम्प को, जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकृति है, असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 261- इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है- जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, किसी पदार्थ पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो, हटाएगा या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के

लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाएगा कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 262- ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है- जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाये, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिये प्रचालित किसी स्टाम्प को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लायेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 263- स्टाम्प के उपयोग किये जाने चुकने के द्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना- जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प पर से उस चिह्न को छीलकर मिटायेगा या हटायेगा, जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतक करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्ययनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 263-क. बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध- (1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को-

(क) बनायेगा, जानते हुये चलायेगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक सम्बन्धी किसी प्रयोजन के लिये जानते हुये उपयोग में लायेगा, अथवा

(ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा

(ग) बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनायेगा, या किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा,

वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियाँ, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हों [1][अभिगृहीत की जा सकेंगी और अभिगृहीत की जाएँ] तो समपहृत कर ली जाएंगी ।

(3) इस धारा में 'बनावटी स्टाम्प' से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, जिससे वह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतक के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, अनुलिपि, अनुकृति या समरुपण हो ।

(4) इस धारा में और धारा 255 से लेकर 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धारायें भी समाविष्ट हैं "सरकार" शब्द के अन्तर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर के द्योतक के प्रयोजन से प्रचालित किये गये किसी स्टाम्प के संसर्ग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी वह या वे व्यक्ति समझे जायेंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मैजेस्टी की डोमिनियनों के किसी भाग में, या किसी विदेश में भी, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत हो ।

1. 1953 के अधिनियम सं. 42 के द्वारा प्रतिस्थापित |

अध्याय 13

बाटो और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 264- तोलने के लिये खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग- जो कोई तोलने के लिये ऐसे किसी उपकरण का जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 265- खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग- जब कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का, या लम्बाई या धारिता के किसी माप का उससे भिन्न बाट या माप के रुप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 266- खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना- जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, [1]**[***]** इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाये वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 267- खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना- जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को या लम्बाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिये कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाये, या यह सम्भाव्य जानते हुये कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाये, बनायेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

---

1. 1953 के अधिनियम सं. 42 के द्वारा शब्द "और" लुप्त | 23.12.1953 से प्रभावी |

अध्याय 14

लोक-स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा 268- लोक न्यूसेंस- वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आस-पास में रहते हों या आस-पास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक-अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यम्भावी हो ।

कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई करित होती है|

धारा 269- उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य हो- जो कोई विधिविरुद्ध रुप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिये संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 270- परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य है - जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि, और जिससे कि वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिये संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलाना सम्भाव्य है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 271- करन्तीन के नियम की अवज्ञा- जो कोई किसी जलयान को करन्तीन की स्थिति में रखे जाने के, या करन्तीन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के, या ऐसे स्थानों के, जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा बनाये गये और प्रख्यापित किसी नियम को जानते हुये अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 272- विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण- जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु को खाद्य या पेय के रुप में बेचे या यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह खाद्य या पेय के रुप में बेची जायेगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रुप में अपायकर बन जाये, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 47 वर्ष 1975 की धारा 5 (दिनांक 15.9.1975 से प्रभावी |) के द्वारा धारा 272, 273, 274, 275 एवं 276 मे शब्दों "दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो कि एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले समुचित कारणों के लिए, कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा, जो आजीवन कारवास से कम हो ।"

धारा 273- अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय- जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने-पीने के लिये अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि वह खाद्य या पेय के रुप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रुप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा, या बेचने के लिये अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 47 वर्ष 1975 की धारा 5 (दिनांक 15.9.1975 से प्रभावी |) के

द्वारा धारा 272, 273, 274, 275 एवं 276 मे शब्दों "दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो कि एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले समुचित कारणों के लिए, कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा, जो आजीवन कारवास से कम हो ।"

धारा 274- औषधियों का अपमिश्रण- जो कोई औषधि या भेषजीय निर्मिति में अपमिश्रण इस आशय से कि या यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह किसी औषधीय प्रयोजन के लिये ऐसे बेची जायेगी या उपयोग की जायेगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजीय निर्मिति की प्रभावकारिता कम हो जाये, क्रिया बदल जाये या वह अपायकर हो जाये, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 47 वर्ष 1975 की धारा 5 (दिनांक 15.9.1975 से प्रभावी |) के द्वारा धारा 272, 273, 274, 275 एवं 276 मे शब्दों "दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो कि एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले समुचित कारणों के लिए, कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा, जो आजीवन कारवास से कम हो" ।"

धारा 275- अपमिश्रित औषधियों का विक्रय- जो कोई यह जानते हुये कि किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई है, या उसकी क्रिया बदल गई है, या वह अपायकर बन गई है उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिये अभिदर्शित करेगा, या किसी औषधालय से औषधीय प्रयोजनों के लिये उसे अनपमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 47 वर्ष 1975 की धारा 5 (दिनांक 15.9.1975 से प्रभावी |) के द्वारा धारा 272, 273, 274, 275 एवं 276 मे शब्दो ""दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो कि एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि

न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले समुचित कारणों के लिए, कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा, जो आजीवन कारवास से कम हो।"

धारा 276- औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय- जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुये बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिये अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिये औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 47 वर्ष 1975 की धारा 5 (दिनांक 15.9.1975 से प्रभावी |) के द्वारा धारा 272, 273, 274, 275 एवं 276 मे शब्दो "दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो कि एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले समुचित कारणों के लिए, कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा, जो आजीवन कारवास से कम हो ।"

धारा 277- लोक जल-स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना- जो कोई लोक जल-स्त्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिये, जिसके लिये वह मामूली तौर पर उपयोग मे आता हो, कम उपयोगी हो जाये, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 278- वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना- जो कोई किसी स्थान को वायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जन साधारण के स्वास्थ्य के लिये, जो पड़ोस में निवास या कारबार करते हों, या लोक-मार्ग से आते-जाते हों, अपायकर बन जाये, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 279- लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना- जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलायेगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 280- जलयान का उतावलेपन से चलाना- जो कोई किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलायेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित करना

सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 281- भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन- जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुये करेगा, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 282- अक्षेमकर या अति-लदे हुये जलयान में भाड़े के लिये जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण- जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से, जानते हुये या उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब प्रवहण करेगा या करायेगा, जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 283- लोकमार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा- जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की, या अपने भारसाधन के अधीन किसी, सम्पत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने द्वारा किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन के लोकपथ में किसी व्यक्ति को संकट बाधा या क्षति कारित करेगा वह जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 284- विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण- जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये, या जिससे किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो,

या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो, जानते हुये या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 285- अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के समबन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण- जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव-जीवन संकटापन्न हो जाये या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो,

अथवा अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो, जानते हुये या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 286- विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण- जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ, से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो,

अथवा अपने कब्जे में के किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो, जानते हुये या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 287- मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण- जो कोई किसी मशीनरी से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाय या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति करित होना सम्भाव्य हो,

अथवा अपने कब्जे में की या अपनी देखरेख के अधीन की किसी मशीनरी की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो, जानते हुये या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 288- किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण- जो कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने में उस निर्माण की ऐसी व्यवस्था करने का, जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो जानते हुये या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 289- जीवजन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण- जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीवजन्तु के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसे जीवजन्तु से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट या घोर उपहति के किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो जानते हुये या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 290- अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिये दण्ड- जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 291- न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना- जो कोई किसी लोक-सेवक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिये व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किये जाने पर, किसी लोक न्यूसेन्स की पुनरावृति करेगा, या उसे चालू रखेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 292- अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि- [1][(1) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या कोई अन्य वस्तु को अश्लील समझा जायेगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिये रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदे समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्र रुप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाये जिसके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये सम्भाव्य है ।]

[3][(2) जो कोई-

(क) किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक-प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक-प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा

---

1. 1969 के अधिनियम सं. 36 के द्वारा अंतः स्थापित | दिनांक 7.9.1969 से प्रभावी |
2. 1969 के अधिनियम सं. 36 के द्वारा अंत: उपधारा (2) के रूप में पुनः क्रमांकित | दिनांक 7.9.1969 से प्रभावी |

(ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये करेगा या यह जानते हुये, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक-प्रदर्शित या किसी प्रकार से परिचालित की जायेगी, अथवा

(ग) किसी ऐसे कारबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुयें पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये रची जातीं, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयत की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक - प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती हैं, अथवा

(घ) यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं सधनों द्वारा चाहे वे कुछ भी हों यह ज्ञात करायेगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिये तैयार हैं, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अथवा

(ङ) किसी ऐसे कार्य को, जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा,

[1][प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक ही हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भाँति के करावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा] दण्डित किया जायेगा ।

---

1. 1969 के अधिनियम सं. 36 के द्वारा अंतः स्थापित | दिनांक 7.9.1969 से प्रभावी |
2. 1969 के अधिनियम सं. 36 के द्वारा अंत: उपधारा (2) के रूप में पुनः क्रमांकित | दिनांक 7.9.1969 से प्रभावी |

[3][**अपवाद-** इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर न होगा-

(क) कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रूपण या आकृति-

(i) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रुपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उद्देश्यों के हित में है, अथवा

(ii) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिये रखी या उपयोग में लाई जाती है :

(ख) कोई ऐसा रूपण जो-

(i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, अथवा

(ii) किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाये जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये रखे या उपयोग में लाये जाने वाले किसी रथ पर, तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रुपित हों ।

[1][**धारा 293- तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि-** जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो अन्तिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसी करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा, [1][प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा] |]

---

1. 1925 के अधिनियम सं. 8 के द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित |

धारा 294- अश्लील कार्य और गाने - जो कोई-

(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा

(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाँडे या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

म.प्र./ छ.ग. - भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध को न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा अपराध का शमनयोग्य किया जा सकता है जिसके विरुद्ध अश्लील कार्य किए गए थे या अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था । (देखें - म.प्र. अधिनियम सं. 17 वर्ष 1999 (दिनांक 21.5.1999 से प्रभावी ।)

धारा 294-क. लाटरी कार्यालय रखना- जो कोई ऐसी लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिये कोई कार्यालय या स्थान रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा;

तथा जो कोई ऐसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकृति को निकालने से सम्बन्धित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिये किसी राशि को देने की, या किसी माल के परिदान की, या किसी बात को करने की, या किसी बात से प्रविरत रहने की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

राज्य संशोधन

उ.प्र.- उप्र. में धारा 294क अप्रयोज्य की गयी है । (देखें- उ.प्र. अधिनियम सं. 24 वर्ष 1995**)**

अध्याय 15

धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 295 - किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति कारित करना या अपवित्र करना- जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाय या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किये जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 295 क. विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गये हों- जो कोई [1]**[**भारत के नागरिकों के**]** किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान [2]**[**उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा**]** करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि [3]**[** तीन**]** वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 296- धार्मिक जमाव में विघ्न करना- जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारो में वैधरुप से लगे हुये किसी जमाव में स्वेच्छया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 297- कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना- जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर, या अत्येष्टि क्रियाओं के लिये या मृतकों के अवशेषों के लिये निक्षेप स्थान के रुप में पृथक रखे गये किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अत्येष्टि संस्कारों के लिये एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित,

इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाये या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुये करेगा कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा,

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1961 के अधिनियम सं. 41 के द्वारा प्रतिस्थापित | 27.9.1969 से प्रभावी |
3. 1961 के अधिनियम सं. 41 के द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित | 27.9.1969 से प्रभावी |

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा 298- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि- जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, वह

दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

अध्याय 16

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिये संकटकारी अपराधों के विषय में

धारा 299- आपराधिक मानव वध- जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुये कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है ।

स्पष्टीकरण 1- वह व्यक्ति,जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है यह समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण 2- जहाँ कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जायेगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी ।

स्पष्टीकरण 3- माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णत: उत्पन्न न हुआ हो ।

धारा 300- हत्या- एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा- यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा- यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

चौथा- यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वाक्त रुप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

अपवाद 1- आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन है-

पहला- यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रुप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो ।

दूसरा- यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक-सेवक द्वारा ऐसे लोक-सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो ।

तीसरा- यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

स्पष्टीकरण- प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है ।

अपवाद 2- आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावनापूर्वक प्रयोग में लाते हुये विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिकमण कर दे, और पूर्वचिन्तन बिना ओर ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो ।

अपवाद 3- आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक-सेवक होते हुये, या लोक-सेवक को मदद देते हुये, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ जाये, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक-सेवक के नाते उसके कर्त्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे ।

अपवाद 4- आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो ।

स्पष्टीकरण- ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है ।

अपवाद 5- आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाये, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुये, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाये ।

धारा 301- जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध- यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा, जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न यह सम्भाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा आपराधिक मानव-वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव- वध उसी भाँति का होगा जिस भाँति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है ।

धारा 302- हत्या के लिये दण्ड- जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या [1]**[**आजीवन का करावास**]** से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |

[1]**धारा 303 - आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिये दण्ड-** जो कोई [2]**[** आजीवन कारावास**]** के दण्डादेश के अधीन होते हुये हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जायेगा ।

304. हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध के लिए दंड- जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह [2]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

---

1. धारा 303 को उच्चतम न्यायालय द्वारा *मिट्ठू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 1983 सु.को. 473* में अमान्य कर दिया गया |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित | 1.1.1956 से प्रभावी |

304 क. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना- जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

[1]**[304ख.दहेज मृत्यु - -** (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहा ऐसी मृत्यु को " दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है |

---

1. 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 10 द्वारा (19-11-1986 से) अंतः स्थापित |

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा। **]**

305. शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण- यदि कोई अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई विपर्यस्त चित्त व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति, जो मत्तता की अवस्था में है आत्महत्या कर ले तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु, या [1]**[**आजीवन का कारावास**]** या कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की न हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

307. हत्या करने का प्रयत्न- जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो [1]**[**आजीवन कारावास**]** से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है ।

आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न- जबकि धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति [1]**[**आजीवन कारावास**]** के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

308. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न- जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

309 .आत्महत्या करने का प्रयत्न- जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

310. ठग- जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्ततः, सहयुक्त रहता है वह ठग है ।

311. दण्ड- जो कोई, ठग होगा, वह [1][आजीवन कारावास] से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में

312. गर्भपात कारित करना- जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक, कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है ।

313. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना- जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, अन्तिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यो द्वारा कारित मृत्यु- जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी स्त्री कि मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा |

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए- और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, तो वह [1][आजीवन कारावास] से, या ऊपर बताए हुए दण्ड से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित सम्भाव्य है ।

315. शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य- जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात् तद्द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से साद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

316. ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना- जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्द्वारा मृत्यु कारित कर देगा, तो वह अपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

317. शिशु के पिता या माता या उसकी देख-रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग- जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णत: परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरुप मर जाए, तो यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 317 अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है | (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता मप्र संशोधन अधिनियम, 2007 (म.प्र. संशोधन**)** अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं 2 वर्ष 2008**)**

318. मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना- जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर के गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 318 अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है | (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता मप्र संशोधन अधिनियम, 2007 (म.प्र. संशोधन**)** अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं 2 वर्ष 2008**)**

उपहति के विषय में

319. उपहति- जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंत- शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है |

320. घोर उपहति- उपहति की केवल नीचे लिखी किस्मे "घोर" कहलाती हैं-

पहला- पुंसत्वहरण ।

दूसरा- दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ।

तीसरा- दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद ।

चौथा- किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद ।

पांचवां- किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास

छठा- सिर या चेहरे या स्थायी विद्रूपीकरण ।

सातवां- अस्थि या दांत का भंग विसंधान ।

आठवां - कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहति व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है।

321. स्वेच्छया उपहति कारित करना- जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह "स्वेच्छया उपहति करता है", यह कहा जाता है ।

322. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना- जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे, कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है और घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति हो, तो वह "स्वेच्छया घोर उपहति करता है", यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है । सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो; किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए या वह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरे ही किस्म की घोर उपहति कारित है तो वह "स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है", यह कहा जाता है ।

323. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड- उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए एक का हो सकेगा,या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना- उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीवजंतु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 325 - स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिये दण्ड- उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 326- खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना- उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुँचना मानव-शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव-जन्तु द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह [1]अजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 326 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म. प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

[1][**326क. अम्ल आदि का प्रयोग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना-** जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अस्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का, ऐसा कारित करने के आशय से या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहति कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या नि:शक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा

---

1. दंड विधि (संशोधन), 2013 द्वारा अंतः स्थापित | दिनांक 3.2.13 से प्राभावी |

326ख स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना- जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या नि:शक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1- धारा 326क तक और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अम्ल" में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलत है जो एसे अम्लीय या संक्षारक स्वरुप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिन्ह बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी नि:शक्तता हो जाती है ।

स्पष्टीकरण 2- धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा ।**]**

धारा 327- सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना- जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाये, या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिये मजबूर किया जाये, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक ही हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 328- अपराध करने के आशय से विष इत्यादि तद्द्वारा उपहति कारित करना- जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या जड़िमाकारी, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक ही हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 329- सम्पत्ति उद्दापित करने के लिये या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना- जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए, या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई बात, जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा 330- संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने से लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना- जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाये कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए, या किसी दावे या माँग की तुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 331 - संस्वीकृति उद्दापित करने के लिये या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना- जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे कि किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे या माँग की तुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 332 - लोक-सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना किसी ऐसे- जो कोई व्यक्ति को जो लोक- सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक- सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक-सेवक को वैसे लोक-सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे अथवा वैसे लोक-सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा

धारा 333 - लोक-सेवक को अपने कर्त्तव्यों से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना- जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक-सेवक हो, उस समय जब वह, वैसे लोक-सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक-सेवक को, लोक-सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे, अथवा वैसे लोक-सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 334 - प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना- जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 335 - प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना- जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया और घोर उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया बाना सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चार वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण- अन्तिम दो धारायें उन्हीं परन्तुकों के अध्यधीन हैं, जिनके अध्यधीन धारा 300 का अपवाद 1 है ।

धारा 336- कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो- जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव- जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 337- ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए- जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा मानव-जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-338- ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए- जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में

धारा-339 सदोष अवरोध- जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है ।

अपवाद- भूमि के या जल के किसी प्राईवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहाँ बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है ।

धारा-340- सदोष परिरोध- जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का "सदोष परिरोध" करता है यह कहा जाता है |

धारा-341- सदोष अवरोध के लिए दण्ड- जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |

धारा-342- सदोष परिरोध के लिए दंड- जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, वह दोनों में किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-343- तीन या अधिक दिनों के सदोष परिरोध- जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-344- दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध- जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-345- ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध, जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है- जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रुप से निकल चुका है वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा ।

धारा-346-गुप्त स्थान में सदोष परिरोध- जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक-सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या एतस्मिन पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक-सेवक को, ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वह न चला पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

धारा-347- संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध- जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि, उससे परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए अथवा उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिये, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए, जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

धारा-348- संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध- जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा. कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके उद्यपित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

आपराधिक बल और हमले के विषय में

धारा-349-बल- कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह तब कहा जाता है, यदि उस अन्य व्यक्ति में गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी चीज से, जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है |

परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति परिवर्तन, या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिनपश्चात् वर्णित तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है, अर्थात

पहला- अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा

दूसरा- किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है ।

तीसरा- किसी जीव जन्तु को गतिमान होने, या गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा ।

धारा-350- आपराधिक बल- जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को, जिस पर ऐसे बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय, या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः कारित करेगा यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है ।

धारा-351-हमला- जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेप या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण- केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियाँ हमले की कोटि में आ जाएँ ।

धारा-352- गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड- जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण न होगी, यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु के रुप में अपराधी द्वारा इप्सित स्वेच्छया या प्रकोपित किया गया हो, अथवा

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में या किसी लोक-सेवक द्वारा ऐसे लोक-सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गयी हो, अथवा

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग

में की गयी हो ।

प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है ।

धारा-353- लोक-सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक-सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक-सेवक के नाते वह उसके अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक-सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक-सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गयी या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-354- स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा [1][वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- - धारा 354 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"354-क." किसी स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग - - जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे हमले द्वारा वह किसी सार्वजनिक स्थान पर उसके कपड़े उतारकर या उसे नग्न होने के लिए विवश करके, उसकी लज्जा भंग करेगा या करवाएगा, उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करेगा या स्त्री पर हमला करने के लिए दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करेगा या ऐसा आपराधिक बल प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के करावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा |"

(देखें म.प्र. अधिनियम सं 14 सन् 2004 की धारा 3 (2-12-2004 से प्रभावशील) । म.प्र. उचित (असाधारण) दिनांक 2-12-2004 पेज 1037-1038 पर प्रकाशित ।)

[1]**[354क लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड-** (1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात् : -

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएँ करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों; या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने; या

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाने; या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करने,

वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा ।

(2) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii**)** में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

354ख विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला

---

1. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 3.2.13 से प्रभावी |

करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

354ग दृश्यरतिकता- ऐसा कोई पुरुष, जो कोई ऐसी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों के अधीन, जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि इसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा इस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा हौर जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्राइवेट कृत्य" के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में देखने का कार्य किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रुप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहाँ एकांतता होगी और जहाँ कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है अथवा जहाँ कि पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है; या जहाँ पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है तो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 2- जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहाँ उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहाँ ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा ।

354घ पीछा करना- (1) ऐसा कोई पुरुष, जो-

(i) किसी स्त्री या उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रुप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है; अथवा

(ii) जो कोई किसी रत्री द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररुप की इलेक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है,

वह पीछा करने का अपराध करता है

परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरुष, जो ऐसा करता है, यह साबित कर देता है कि-

(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था; या

(ii) ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था; या

(iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था ।

(2) जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा एवं द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।]

धारा-355-गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा, इस आशय से करेगा कि तद्द्वारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-356- किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा, जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो, या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-357- किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-358- गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- अंतिम धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन धारा 352 है ।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्-श्रम के विषय में

धारा-359- व्यपहरण- व्यपहरण दो किस्म का होता है [1]**[**भारत**]** में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण ।

धारा-360- भारत में से व्यपहरण- जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रुप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, [1]**[**भारत**]** की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह [1]**[**भारत**]** में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है ।

धारा-361- विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण- जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो वह अठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "विधिपूर्ण संरक्षक" शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है ।

अपवाद- इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए ।

धारा 362-अपहरण- जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवचनापूर्ण उपयों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है ।

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा-363- व्यपहरण के लिए दंड- जो कोई [1][भारत] में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- धारा 363 का अपराध 'सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य' है । (अवलोकन करें म.प्र. अधिनियम सं.2 वर्ष 2008 । (इसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 22.2.2008 को किया गया ।

उत्तरप्रदेश- धारा 363 के अधीन अपराध अजमानतीय किया गया । (अवलोकन करें उ.प्र. अधिनियम क्र. 1 वर्ष 1984 (दिनांक 1.5.1984 से प्रभावी ।)

[1]**[363 क भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण-** (1) जो कोई किसी अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण करेगा या अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसे अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) जहाँ कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तवय का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जा सके ।

(4) इस धारा में, -

(क) भीख मांगने से अभिप्रेत है -

(1) लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने करतब दिखाने या चीजें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना,

(2) भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना,

---

1. 1959 के अधिनियम सं. 52 के द्वारा अंतःस्थापित | दिनांक 15.1.1960 से प्रभावी |

(3) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव-जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना,

(4) भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तवय का प्रदर्शित के रुप में प्रयोग करना,

(ख**)** अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो

(i) यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है; तथा

(ii) यदि नारी है तो अठारह वर्ष से कम आयु की है ।**]**

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 363क के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008**)**

धारा-364- हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण- जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह [1][आजीवन कारावास] से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

2. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |

[1][**364क. मुक्ति-धन आदि के लिए व्यपहरण-** जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या उपहति करने के लिए धमकी देगा या अपने इस आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सक्ती है या उपहति की जा सकती है या कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से प्रविरत रहने के लिए या मुक्ति धन देने के लिए सरकार [2][या किसी विदेशी राज्य या अंतर राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति] को विवश करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उपहति करेगा या मृत्यु कारित करेगा, वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा |]

---

1. 1993 के अधिनियम सं 42 द्वारा (22-5-1993) अन्तः स्थापित |
2. 1995 अधिनियम सं 24 द्वारा "कोई एनी व्यक्ति" के लिए प्रतिस्थापित | 26-5-1995 से प्रभावी

धारा-365-किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या व्यपहरण- जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 365 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

धारा-366- विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना- जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा ।

366-क-अप्राप्तवय लड़की का उपापन- जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय की लड़की को, अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए ऐसी लडकी को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

366-ख-विदेश से लड़की का आयात करना- जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को [1]**[भारत]** के बाहर के किसी देश से या [1]**[जम्मू-काश्मीर राज्य से]** आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, वह संभाव्य जानते हुए करेगा, [2]**[***]** वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

---

1. 1951 के अधिनियम संख्यांक 3 द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1951 के अधिनियम सं.3 के द्वारा कतिपय शब्द लुप्त |

धारा-367- व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण- जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाये जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे व्ययनित किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त रूप से व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-368- व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना- जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है ।

धारा-369- दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण- जो कोई दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

[1]**[370 व्यक्ति का दुर्व्यापार-** (1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिए,- किसी व्यक्ति

---

1. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 3.2.13 से प्रभावी |

किन्हीं व्यक्तियों को (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहनित करता है, (ग) संश्रय देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, (ङ) या गृहीत करता है,

पहला- धमकियों का प्रयोग करके या

दूसरा- बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीडन प्रयोग करके या

तीसरा- अपहरण द्वारा, या

चौथा- कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा; या

पाँचवा- शक्ति का दुरुपयोग करके; या

छठवां- उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या देना या प्राप्त करना भी आता है,

वह दुर्व्यापार का अपराध करता है ।

स्पष्टीकरण 1- "शोषण" पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता, अधिसेविता के समान व्यवहार या अंगों का बलात् अपसारण भी है ।

स्पष्टीकरण 2- दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है ।

(2) जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) जहाँ अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(4) जहाँ अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्वलित है वहाँ वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(5) जहाँ अपराध में एक से अधिक अवयस्को का दुर्त्यापार अंतर्वलित है, वहाँ वह कठोरा कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं हो गी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(6) यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने रो भी दंडनीय होगा ।

(7) जहाँ कोई लोक-सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहाँ ऐसा लोक-सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

370क ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है. शोषण- (1) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रहेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।]

धारा-371- दासों का अभ्यासिक ब्यौहार करना- जो कोई अभ्यासत: दासों को आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या ब्यौहार करेगा, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक न होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-372- वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना- जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जायेगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण-1- जब कि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए, या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि

---

1. 1955 के अधिनयम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

वह वेश्यावृत्ति के उपयोग में लाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण-2- "अयुक्त संभोग" से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं हैं, जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की, जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं, तो ऐसे दोनों समुदायों की, स्वीय विधि या रुढि द्वारा उनके बीच विवाह-सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता है ।

धारा-373- वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना आदि- जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकण-1- अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्ज़ा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का कब्ज़ा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण-2- "अयुक्त संभोग" का वही अर्थ है, जो धारा 372 में है ।

धारा-374- विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम- जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा |

[1][यौन अपराध]

[3][**375 बलात्संग-** यदि पुरुष -

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ग) किसी स्त्री के शारीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शारीर के किसी भाग में प्रवेशन करीत किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन होता है : -

पहला- उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा- उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा- उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

---

1. 1983 के अधिनियम सं. 43 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 25.12.1983 से प्रभावी |
2. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा धारा 375,376,376क, 376ख, 376ग, 376घ के स्थान नवीन धाराएँ 375,376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, एवं 376ङ प्रतिस्थापित | दिनांक 3.2.13 से प्रभावी |

चौथा- उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

पाँचवा- उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

छठवाँ- उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है ।

सातवाँ- जब यह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है ।

स्पष्टीकरण 1 -इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "योनि" के अंतर्गत वृहत् भगौष्ठ भी है ।

स्पष्टीकरण 2 - सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है:

परंतु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रुप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान की है ।

अपवाद 1 - किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा ।

अपवाद 2 - किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ, यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है ।

376 बलात्संग के लिए दंड- (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष, से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन सावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई-

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए-

(i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में; या

(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ख) लोक-सेवक होते हुए, ऐसे लोक-सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक-सेवक के अधीनस्थ किसी लोक-सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलास्तंग करेगा; या

(ग) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालको की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारीवृंद में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा; या

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारीवृंद में होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा; या

(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा; या

(झ) किसी स्त्री से, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा; या

(ञ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करेगा, या

(ट) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ठ) मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ड) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा; या

(ढ) उस स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं

होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "सशस्त्र बल" से नौसैनिक, सैनिक और वायु सैनिक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, कोई सदस्य भी है;

(ख) "अस्पताल" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थय लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है;

(ग) "पुलिस अधिकारी" का वही अर्थ होगा जों पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के अधीन "पुलिस" पद में उसका है;

(घ) "स्त्रियों या बालकों की संस्था" से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो ।

376क पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड- जो कोई, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुँचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा ।

376ख पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन- जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक् रह रही है, उसकी सहमति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "मैथुन" से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है

376ग प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन- जो कोई, -

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए; या

(ख) कोई लोक-सेवक होते हुए; या

(ग) तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए; या

(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारीवृंद होते हुए,

ऐसी किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए

ऐसी स्थिति या वैश्वाससिक संबंध का दुरूप योग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो पाँच वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा में "मैथुन" से धारा 375 के खंड (क**)** से खंड (घ**)** में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत होगा ।

स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 375 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा ।

स्पष्टीकरण 3- किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है, जो जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है ।

स्पष्टीकरण 4- "अस्पताल" और "स्त्रियों या बालकों की संस्था" पदों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उनका है ।

376घ सामूहिक बलात्संग- जहाँ किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाता कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीडिता को संदत्त क्यिा जाएगा ।

376ङ पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड- जो कोई, धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा ।]

प्रकृति-विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा-377- प्रकृति -विरुद्ध अपराध- जो कोई, किसी पुरुष, स्त्री या जीव-जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रिय- भोग करेगा, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इन्द्रियभोग गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 377 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

अध्याय 17
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
चोरी के विषय में

धारा-378-चोरी- जो किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्पत्ति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकण 1- जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है ।

---

1. 1956 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण-2- हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण-3- कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है ।

स्पष्टीकरण-4- वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव-जन्तु का हटाना कारित करता है, उस जीव-जन्तु को हटाता है; और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप उस जीव-जन्तु द्वारा हटायी जाती है |

स्पष्टीकरण-5- परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिये अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है ।

धारा-379- चोरी के लिए दंड - जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा |

धारा-380-निवास-गृह, आदि में चोरी- जो कोई ऐसे किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण, तम्बू या जलयान मानव निवास के रुप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए, उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-381- लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी- जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत से नियोजित होते हुए, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-382- चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी- जो कोई चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

उद्दापन के विषय में

धारा 383 उद्दापन- जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और एतद्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में प्रतिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, "उद्दापन" करता है |

धारा-384- उद्दापन के लिए दंड- जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-385- उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के भय में डालना- जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुँचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-386- किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन- जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-387- उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना- जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-388- मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन- जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या [1][अजीवन कारावास] से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अविधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि यह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है, तो वह [1][आजीवन कारावास] से दंडित किया जाएगा ।

धारा-389- उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना- जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग

लागाने का भय दिखलाएगा या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या [1][आजीवन कारावास] से या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है, तो वह [1][आजीवन कारावास] से दंडित किया जाएगा ।

लूट और डकैती के विषय में

धारा-390-लूट- सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है ।

चोरी कब लूट है- चोरी "लूट" है, यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध के भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

उद्दापन कब लूट है- उद्दापन "लूट" है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसका या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार के भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है ।

स्पष्टीकरण- अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रुप से निकट हो ।

धारा-391-डकैती- जब कि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने या प्रयत्न करते हैं या जहाँ कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, या करने का प्रयत्न करते हैं, और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पाँच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह "डकैती" करता है ।

धारा-392- लूट के लिए दंड- जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 392 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

धारा-393-लूट करने का प्रयत्न- जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 393 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 394 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम 2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

धारा-395- डकैती के लिए दंड- जो कोई डकैती करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-396-हत्या सहित डकैती- यदि ऐसे पाँच व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यकित इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-397- मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती- यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।

धारा-398- घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न- यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।

धारा-399-डकैती करने के लिए तैयारी करना- जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-400- डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड- जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा, जो अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-401- चोरों की टोली का होने के लिए दंड- जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती-फिरती या अन्य टोली का होगा, जो अभ्यासत: चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली न हो, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-402- डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना- जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से, एक होगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

धारा-403-संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग- जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

---

1. 1955 के अशिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

स्पष्टीकरण-1- केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है ।

स्पष्टीकरण-2- जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी सम्पत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है, यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति को युक्तियुक्त समय तक रखे रहने के पूर्व उसको उपने लिए विनियोजित कर लेता है ।

ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या है, या युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है ।

यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है । यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है, या सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता ।

धारा-404- ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी- जो कोई किसी संपत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रुप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग मे संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से,

जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रुप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा ।

आपराधिक न्यासभंग के विषय में

धारा-405- आपराधिक न्यासभंग- जो कोई संपत्ति या सम्पत्ति पर कोई अख्तयार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह "आपराधिक न्यासभंग" करता है ।

[1]**[स्पष्टीकरण** [2]**[1]**-- जो व्यक्ति [3][किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1962 (1952 का 19) की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं], तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन-निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से करता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।]

---

1. 1973 के अधिनियम सं. 40 की धारा 9 द्वारा (1-11-1973 से) अन्तः स्थापित |
2. 1975 के अधिनियम सं. 38 की धारा 9 द्वारा (1-9-1-1975 से) के स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित|
3. 1988 के अधिनियम सं. 33 की धारा 27 द्वारा (1-8-1988 से) अन्तः स्थापित |

[1]**[स्पष्टीकरण 2--** जो व्यक्ति, नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी-अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है ।]

---

1. 1975 के अधिनियम सं. 38 की धारा (1-9-1975 से) अंतः स्थापित |

धारा-406- आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड- जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा

।

धारा-407-वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग- जो कोई वाहक, घाटवाल या भांडागारिक के रुप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-408-लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग- जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी अख्तयार अपने मे न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, यह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा-409-लोक-सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग- जो कोई लोक-सेवक के नाते अथवा बैकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटार्नी या अभिकर्ता के रुप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी अख्तयार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संशोधन

(म.प्र.)- म.प्र. में म.प्र. अधिनियम सं 2 वर्ष 2008 की धारा 4 के द्वारा भा.द.वि. की धारा 409 के अधीन अपराध "सत्र न्यायालय" द्वारा विचारणीय किया गया है ।

(उक्त अधिनियम का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 22.2.2008 पेज 157-158 पर है ।

चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के बारे में

धारा-410- चुराई हुई संपत्ति- वह संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, "चुराई हुई संपत्ति" कहलाती है चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर । किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रुप से हकदार है, तो वह चुराई संपत्ति नहीं रह जाती |

धारा-411-चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना- जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति हैं, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा |

धारा-412-ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है- जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का

कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, अथवा ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओ कि टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक कि हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा |

धारा 413-चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना- जो कोई ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में, वह यह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासत: प्राप्त करेगा या अभ्यासत: उसमें व्यवहार करेगा, वह, [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

धारा-414- चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना- जो कोई ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर-उधर करने में स्वेच्छया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

छल के विषय में

धारा-415-छल- जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति-संबंधी, या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह “छल” करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण- तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अंतर्गत प्रवंचना है ।

धारा-416- प्रतिरुपण द्वारा छल- कोई व्यक्ति “प्रतिरूपण द्वारा छल करता है”, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रुप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुत: उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है ।

स्पष्टीकरण- यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरुपण किया गया है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक ।

धारा-417- छल के लिए दंड- जो कोई छल करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा-418- इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है- जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभाव्य है कि वह तद्द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाए, जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि के द्वारा या वैध संविदा द्वारा, आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भाँति के कारवास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-419- प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड- जो कोई प्रतिरुपण द्वारा छल करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-420-छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना- जो कोई छल करेगा, या तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतः या अंशत: रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

कपटपूर्ण विलेखों और संपाल-व्ययनों के विषय में

धारा 421- लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना- जो कोई किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना तद्द्वारा निवारित करने के आशय से, या तद्द्वारा संभाव्यतः निवारित करेगा यह जानते हुए उस संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारित करेगा या छिपायेगा या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा या करायेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 422- ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना- जो कोई किसी ऋण का या मांग का, जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध्य हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध होना कपटपूर्वक या बेईमानी से निवारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा |

धारा 423- अंतरण ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन- जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख को या लिखित को हस्ताक्षरित करेगा या निष्पादित करेगा या उसका पक्षकार बनेगा, जिससे किसी संपत्ति का, या उसमें के किसी हित का अंतरित किया

जाना या किसी भार के अधीन किया जाना तात्पर्यित है और जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित, जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका प्रवर्तित होना वास्तव में आशयित है, कोई मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 424- संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना- जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी संपत्ति को छिपायेगा या अपसारित करेगा, या उसके छिपाये जाने में या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता करेगा, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दावे को, जिसका वह हकदार है, छोड देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

रिष्टि के विषय में

धारा 425- रिष्टि- जो कोई इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षति कारक प्रभाव पड़ता है, वह 'रिष्टि' करता है ।

स्पष्टीकरण 1- रिष्टि अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि, या नुकसान कारित करने का आशय रखे । यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं सदोष हानि या नुकसान कारित करे ।

स्पष्टीकरण 2- ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रुप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकती है ।

धारा 426- रिष्टि के लिए दंड- जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 427- रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है- जो कोई रिष्टि करेगा और तद्द्वारा पचास रुपये या उससे अधिक रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 428- दस रुपये के मूल्य के जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि- जो कोई दस रुपये या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीव-जन्तु या जीव-जन्तुओं को वध करने, विष देने या विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 429- किसी मूल्य के ढोर आदि की या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने या

उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि- जो कोई किसी हाथी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, भैस, साँड़, गाय, या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जीव-जन्तु को वध करने विष देने या विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 430- सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि- जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए, या मानव-प्राणियों के या उन जीव-जन्तुओं के, जो संपत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो, या कमी कारित होना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 431- लोक सड़क, पुल, नदी या जल- सारणी को क्षति पहुँचाकर रिष्टि- जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने के द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम जल सरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरूप द बना दिया जाए या बना दिया जाना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 432- लोक जल-निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि- जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक जल-निकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित हो जाए, या होना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 433- किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करने, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि- जो कोई किसी दीपगृह को या समुद्री चिन्ह के रुप में उपयोग में आने वाले अन्य प्रकाश के, या किसी समुद्री चिन्ह या बोया या अन्य चीज के, जो नौकां-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गयी हो, नष्ट करने या, हटाने के द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा दीपगृह, समुद्री चिन्ह, बोया या पूर्वोक्त जैसी अन्य चीज नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रुप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा

धारा 434- लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि- जो कोई लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि-चिन्ह, ऐसे भूमि चिन्ह के रुप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 435- सौ रुपये का या (कृषि-उपज की दशा में) दस रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या अग्नि विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि- जो कोई किसी संपत्ति को, एक सौ रुपये या उससे अधिक का या

(जहाँ कि संपत्ति कृषि-उपज हो, वहाँ) दस रुपये या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

म.प्र. राज्य संशोधन

धारा 435 का अपराध "[सत्र न्यायालय]" द्वारा विचारणीय किया गया है । (अवलोकन करे म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008, धारा 4 । इसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 22.2.2008 पेज 157 - 158 पर किया गया ।)

धारा 436- गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि- जो कोई किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूली तौर पर उपासना-स्थान के रुप में या मानव- निवास के रुप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रुप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसका नाश कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा रिष्टि करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 437- तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि- जो कोई किसी तल्लायुक्त जलयान या बीस टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बना देने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसे नष्ट करेगा, या सापद बना देगा उस जलयान की रिष्टि करेगा, वह दोनों में किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 438- धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दंड - जो कोई अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी रिष्टि करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, जैसी अंतिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित है, वह [3]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा 439 -चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड- जो कोई किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अंतर्विष्ट किसी सम्पत्ति की चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से कि ऐसी चोरी या सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर चढ़ा देगा या किनारे से लगा देगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 440 -मृत्यु या उपहति कारित करने कि तैयारी के पश्चात् की गयी रिष्टि- जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

आपराधिक अतिचार के विषय में

धारा 441 -आपराधिक अतिचार- जो कोई किसी ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे, या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे,

अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधिविरुद्ध रुप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है, कि वह कोई अपराध करे,

वह "आपराधिक अतिचार" करता है यह कहा जाता है ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश- धारा 441 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी-

"धारा- 441 -आपराधिक अतिचार- जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधिविरुद्ध रुप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे,

अथवा ऐसी संपत्ति में या संपत्ति पर या आपराधिक विधि (उत्तरप्रदेश-संशोधन) अधिनियम 1961 के प्रचलित होने के पूर्व या पश्चात् ऐसी संपत्ति का अनधिकृत कब्जा लेने या उनका अनधिकृत उपयोग करने के आशय से प्रवेश कर चुका है, ऐसी संपत्ति को वापस करने या कब्जा छोडने या उपयोग छोड़ने में असमर्थ हो जाता है जबकि उसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित नोटिस (सूचना) दी गई है और सूचना में निर्धारित तिथि तक ऐसा करने के लिए कहा गया है-

तो वह "'आपराधिक अतिचार'" करता है, यह कहा जाता है ।

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 31 वर्ष 1961 द्वारा किया गया । दिनांक 13-11-1961 से प्रभावी ।)

धारा 442 गृह-अतिचार- जो कोई किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में, जो मानव-निवास के रुप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में, जो उपासना के स्थान के रुप में या किसी संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान के रुप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर, आपराधिक अतिचार करता है वह ''"गृह-अतिचार"'' करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण- आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह-अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है ।

धारा 443- प्रच्छन्न गृह-अतिचार- जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गृह-अतिचार करता है कि ऐसे गृह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है वह "प्रच्छन्न गृह- अतिचार" करता है यह कहा जाता है ।

धारा 444- रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार- जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है वह "रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार" करता है, यह कहा जाता है |

धारा 445- गृह-भेदन- जो व्यक्ति गृह- अतिचार करता है वह "गृह-भेदन" करता है, यह कहा जाता है यदि उस गृह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन् पश्चात् वर्णित छः तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए, या वहाँ अपराध कर चुकने पर, उस गृह से या उसके गृह के किसी भाग से ऐसे छः तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, अर्थात्: -

पहला- यदि वह ऐसे रस्ते में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वंय उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिचार करने के लिए बनाया है ।

दूसरा- यदि वह किसी ऐसे रास्ते से, जो उसे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव-प्रवेश के लिए आशयित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से, जिस तक की वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुँचा है प्रवेश करता या बाहर निकलता है ।

तीसरा- यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह-अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन के द्वारा खोला है, जिसके द्वारा उस रास्ते को खोला जाना उस गृह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं था ।

चौथा- यदि उस गृह-अतिचार करने के लिए या गृह-अतिचार के पश्चात् उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है ।

पाँचवाँ-यदि वह आपराधिक बल का प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है ।

छठाँ-यदि वह किसी ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह-अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है ।

स्पष्टीकरण- कोई उपगृह या निर्माण, जो किसी गृह के साथ-साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे गृह के बीच आने-जाने का अव्यवहित भीतरी रास्ता है इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस गृह का भाग है ।

धारा 446- रात्रौ गृह-भेदन- जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व गृह-भेदन करता है, वह ""रात्रौ गृह-भेदन"" करता है, यह कहा जाता है ।

धारा 447- आपराधिक अतिचार के लिए दंड- जो कोई आपराधिक अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो

सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 448- गृह-अतिचार के लिए दंड- जो कोई गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 449 -मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार- जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 450 -आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार- जो कोई [1]**[**आजीवन कारावास**]** से दंडनीय कोई आपराध करने के लिए गृह- अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से,

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

धारा 451- कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार- जो कोई कारावास से दंडनीय-कोई अपराध करने के लिए गृह- अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी ।

धारा 452- उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह- अतिचार- जो कोई किसी व्यक्ति की उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के करावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 453- प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड - जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 454- कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह- अतिचार या गृह- भेदन- जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित है, चोरी हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी ।

धारा 455- उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन- जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति की उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध करने के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 456- रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन के लिए दंड- जो कोई रात्रौ प्रच्छन्न गृह- अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 457- कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन- जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौं गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी |

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश- धारा 457 को उसकी उपधारा (1) के रुप में पुन: संख्यांकित किया जाए और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी, अर्थात्:-

"(2) जो कोई किसी इमारत में जो पूजा स्थल के रुप में उपयोग की जाती है । ऐसी इमारत से कोई मूर्ति या प्रतिमा चुराने का अपराध करने के लिए रात्रौ गृह प्रच्छन्न आतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करता है, वह उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कठोर कारावास से, जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा |

परंतु यह कि पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा । न्यायालय 3 वर्ष से कम कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।"

[देखें उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1995 धारा 11**]**

धारा 458- उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन- जो कोई किसी व्यक्ति की उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमला के, या सदोष अवरोध में भय में डालने की तैयारी करके रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 459- प्रच्छन्न गृह- अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो- जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से,

जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 460- रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन में संयुक्ततः सम्प्रक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो- यदि रात्रौ प्रच्छ्न्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति-स्वेच्छया से किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करने में संयुक्ततः सम्प्रक्त हर व्यक्ति, [1][आजीवन कारावास] से,या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 461 -ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना- जो कोई ऐसे बंद पात्र को, जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से तोड़कर खोलेगा या उद्बंधित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 462 -उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है- जो कोई ऐसा बंद पात्र, जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किए

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से, उस पात्र को तोड़कर खोलेगा या उद्बंधित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 18
दस्तावेजों और संपत्ति [1][***] चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा 463- कूटरचना- [3][जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है] कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या किसी हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति, संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूट-रचना करता है ।

धारा 464- मिथ्या दस्तावेज रचना- [3][उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचता है ।

पहला - जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से-

(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है; (ख)

किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या सम्प्रेषित करता है;

(ग) किसी इलेक्ट्रनिक अभिलेख पर कोई [5][इलेक्ट्रानिक चिंह्क] करता है;

---

1. 1958 के अधिनियम सं. 43 के द्वारा शब्दों "व्यापार या" का लोप| दिनांक 25.11.1959 से प्रतिस्थापित|
2. 2000 के अधिनियम सा. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |
3. अधिनियम, क्रमांक 10 सन् 2009 द्वारा "अंकीय चिह्नक" के स्थान पर प्रतिस्थापित | 27-10-2009 से प्रभावी |

(घ) किसी दस्तावेज का निष्पादन या [1][इलेक्ट्रानिक चिंह्क] की प्रमाणिकता द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है, कि वह विश्वास क्या जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रानिक अभिलेख या [1][इलेक्ट्रानिक चिह्नक] की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकन, निष्पादन, सम्प्रेषण या संयोजन ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था । जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांक या निष्पादन, सम्प्रेषण या संयोजन न होने की बात वह जानता है; अथवा

दूसरा- जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या [1][इलेक्ट्रानिक चिह्नक] से संयोजित किये जाने के पश्चात् उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है; अथवा

तीसरा- जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति दस्तावेज या इलेकट्रोनिक अभिलेख की विषयवस्तु को परिवर्तन के रुप को, चित्तविकृत या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उस प्रवंचना के कारण, जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से, या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित मुद्रांक्ति, निष्पादित या परिवर्तित क्या जाना या इलेक्ट्रनिक अभिलेख पर अपने [1][इलेक्ट्रानिक चिह्नक] किया जाना करित करता है;]

---

1. अधिनियम, क्रमांक 10 सन् 2009 द्वारा ‘‘"अंकीय चिंह्क"’’ के स्थान पर प्रतिस्थापित | 27-10-2009 से प्रभावी|

स्पष्टीकरण 1 - किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा ।

स्पष्टीकरण 2 - कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गयी थी या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन-काल में रची गयी थी, कूटरचना की कोटि में आ सकेगा ।

[1][**स्पष्टीकरण 3 --** इस धारा के प्रयोजनों के लिए [2][इलेक्ट्रानिक चिंह्क] करना अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में समनुदेशित है ।

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 की धारा 1 तथा अनुसूची I द्वारा (17-10-2000 से) अंतः स्थापित|
2. सन् 2009 के अधिनियम सं. 10 द्वारा "अंकीय चिन्हक" के स्थान पर प्रतिस्थापित | 27-10-2009 से प्रभावी |

धारा 465- कूटरचना के लिए दंड- जो कोई कूटरचना करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 466- न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना- [1]**[**जो कोई ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की**]**, जिसका किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना या जन्म, बाप्तिसमा, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक-सेवक द्वारा लोक-सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो अथवा किसी प्रमाण पत्र की या ऐसी दस्तावेज की, जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक-सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद में संस्वीकृत कर लेने का प्राधिकार हो या कोई मुख्तारनामा हो, कूटरचना करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा 1

[1]**[स्पष्टीकरण-** इस धारा के प्रयोजन के लिए "रजिस्टर" में कोई सूची आंकड़ा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख शामिल है, जो इलेक्ट्रानिक रूप में रखा गया है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (द) में परिभाषित है ।**]**

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 466 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित । 17.10.2000 से प्रभावी ।

धारा 467- मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूटरचना - जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूट रचना करेगा, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा |

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 466 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

धारा 468 -छल के प्रयोजन से कूटरचना- जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि [1]**[**वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसकी कूटरचना की जाती है**]**, छल के प्रयोजन से उपयोग में लायी जाएगी, वह दोनो में से

किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि.की धारा 468 के अंतर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है |(देखे- दंड प्रक्रिया संहिता(म.प्र.संसोधन) अधिनियम,2007 (म.प्र.अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

धारा 469- ख्याति को अपहानि पहुचानें के आशय से कूटरचना -[1]**[**जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख**]** जिसकी कूटरचना की जाती है,किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी,या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाये,

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | 17.10.2000 से प्रभावी |

वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से,जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 470- कूटरचित [1]**[दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] -** वह मिथ्या [1][दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख], जो पूर्णत: या भागत: कूटरचना द्वारा रची गयी है, कूटरचित [1]**[**दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख कहलाती है |

धारा 471- कूटरचित [1]**[दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] का असली के रूप में उपयोग लाना -** जो कोई किसी ऐसी [1]**[**दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख**]** को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास का कारण रखता है कि वह कूटरचित [1]**[**दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख**]** है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रुप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकर दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसी [1]**[**दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख**]** की कूटरचना की हो ।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 471 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है |(देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म.प्र.अधिनियम सं.2 वर्ष 2008)

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |

इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से या दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 472 के अंतर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है | (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन), 2007(म.प्र. अधिनियम सं.2 वर्ष 2008)

धारा 473- अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना- जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को उस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति करेगा कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो धारा 467 से भिन्न इस अध्याय की धारा के अधीन दडनीय है या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 472 के अंतर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है | (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन), 2007(म.प्र. अधिनियम सं.2 वर्ष 2008)

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

धारा 474- धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रुप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना- [1]**[**जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, उसे कूटरचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप मे उपयोग में लाई जाएगी, अपने कब्जे में रखेगा ' यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख इस संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति का हो**]**, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से,जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ,तथा यदि वह दस्तावेज धारा 467 में वर्णित भांति की हो, तो वह [2]**[**आजीवन कारावास**]**से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 474 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है | (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007(म.प्र. अधिनियम सं.2 वर्ष 2008)

धारा 475- धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना- जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिन्हों को, जिसे इस संहिता की धारा 467 में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग

---

1. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह,ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही हो या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने की किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा या जो ऐसे आशय से, कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा, जिस पर या जिसके उपादान मे ऐसी अभिलक्षणा को या ऐसे चिन्ह की कूटकृति बनायी गयी हो, वह [1]**[**आजीवन कारावास**]** से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 475 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

धारा 476- धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह को कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना- जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी अभिलक्षणा या चिन्ह को, जिसे इस संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न [3]**[**किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख**]** के अभिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि वह ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह को, ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही हो या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली [3]**[**किसी दस्तावेज या

---

1. 1950 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 17.10.2000 से प्रभावी |

इलेक्ट्रानिक अभिलेख**]** को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा या जो ऐसे आशय से कोई ऐसे पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह की कूटकृति बनाई गयी हो,वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 476 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है | (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता म.प्र. संशोधन) अधिनियम,2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

धारा 477 -विल, दत्तक ग्रहण प्राधिकारपत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्ध, नष्ट आदि करना- जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसी दस्तावेज को जो विल या पुत्र के दत्तकग्रहण करने का प्राधिकारपत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या

होना तात्पर्यित हो, रद्द, नष्ट या विरुपित करने का प्रयत्न करेगा, या छिपायेगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा या ऐसी दस्तावेज के विषय पर रिष्टि करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 477 के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता म.प्र. सशोधन) अधिनियम ,2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

[1]**[477क लेखा का मिथ्याकरण-** जो कोई, लिपिक, ऑफिसर या सेवक होते हुए, या लिपिक, ऑफिसर या सेवक के नाते नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए,किसी ऐसी [2][पुस्तक, इलेक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख] मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को, जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो, या जिसे उसके नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो, जानबूझकर और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित,विकृत या मिथ्याकृत करेगा अथवा किसी ऐसी [2][पुस्तक, इलेक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख], मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जानबूझकर और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, या उसमें से या उसमें किसी तात्विक विशिष्ट का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के अधीन किसी आरोप में किसी विशिष्ट व्यक्ति का, जिससे कपट करना आशयित था,नाम बताए बिना या किसी विशिष्ट धनराशि का जिसके विषय में कपट किया जाना आशयित था या किसी विशिष्ट दिन का, जिस दिन अपराध किया गया था विनिर्देश किए बिना, कपट करने के साधारण आशय का अभिकथन पर्याप्त होगा ।]

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 477क के अन्तर्गत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारयोग्य किया गया है । (देखें-दंड प्रक्रिया संहिता (म.प्र. संशोधन) अधिनियम-2007 (म.प्र. अधिनियम सं. 2 वर्ष 2008)

---

1. 1895 के अधिनियम सं. 3 के द्वारा जोड़ा गया |
2. 2000 के अधिनियम सं. 21 के द्वारा (17.10.2000 से) प्रतिस्थापित |

1[संपत्ति 2[***] चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में

धारा 478- (.....) व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958(1958 का 43) द्वारा निरसित ।
(उक्त संशोधन दिनांक 25-11-1959 से प्रभावी ।

धारा 479- संपत्ति चिन्ह- वह चिन्ह जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहा जाता है ।

धारा 480- मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना- (.....) व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958(1958 का 43) द्वारा निरसित । दिनांक 25-11-1959 से प्रभावी ।

धारा 481- मिथ्या संपत्ति-चिन्ह को उपयोग में लाना- जो कोई किसी जंगम संपत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज, या अन्य पात्र को, जिसमें जंगम सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिन्हित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिस पर कोई चिन्ह है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित सपत्ति या माल या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई संपत्ति या माल, ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, मिथ्या संपत्ति-चिन्ह का उपयोग करता है यह कहा जाता है ।

---

1. 1889 के अधिनियम सं. 4 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1958 के अधिनियम सं. 43 के द्वारा शब्दों "व्यापार चिन्ह" का लोप | इस संशोधन को दिनांक 25.11.1959 से प्रभावी |

धारा 482- मिथ्या संपत्ति-चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड- जो कोई [1]**[***]** किसी मिथ्या संपत्ति-चिन्ह का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 483- अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण- जो कोई किसी [3]**[***]** सम्पत्ति चिन्ह का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 484- लोक-सेवक द्वारा उपयोग मे लाए गए चिन्ह का कूटकरण- जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह का, जो लोक-सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, या किसी ऐसे चिन्ह का, जो लोक-सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई सपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गयी है, या यह कि वह संपत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है या यह कि वह किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा, या किसी ऐसे चिन्ह को उसे कूटकृत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

[5]**[धारा- 485-सम्पत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा-** जो कोई संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा यह

---

1. 1958 के अधिनियम सं. 43 के द्वारा शब्दों "किसी मिथ्या व्यापार चिन्ह" का लोप | 25.11.1959 से

प्रभावी |

2. 1958 के अधिनियम सं. 43 के द्वारा शब्दों "व्यापार चिन्ह" का लोप | इस संशोधन को दिनांक 25.11.1959 से प्रभावी |

3. 1958 के अधिनियम सं. 43 के प्रतिस्थापित | दिनांक 25.11.1959 से प्रभावी |

द्योतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है किसी संपत्ति चिन्ह को अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों .में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा |**]**

धारा 486- कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय- [1]**[**जो कोई किसी माल या चीजों को स्वयं उन पर या किसी पेटी, पैकेज जा अन्य पात्र पर, जिसमें ऐसा माल रखा हो कोई कूटकृत संपत्ति चिन्ह लगा हुआ या छपा हुआ बेचेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा **]** जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि-

(क) इस धारा के विरुद्ध अपराध न करने को सब युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरतते हुए, चिन्ह के असलीपन के संबंध में संदेह करने के लिए उसके पास कोई कारण अभिकथित अपराध करते समय नहीं था तथा

(ख) अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से माँग किए जाने पर, उसने उन व्यक्तियों के विषय में, जिससे उसने ऐसा माल या चीजें अभिप्राप्त की थी, वह सब जानकारी दे दी थी,जो उसकी शक्ति में थी, अथवा

(ग) अन्यथा उसने निर्दोषितापूर्वक कार्य किया था, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 487 -किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है- जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ हो ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिन्ह बनाएगा, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक-सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए

---

1. 1958 के अधिनियम सं. 43 के प्रतिस्थापित | 25.11.1959 से प्रभावी |

कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है, जो उसने नहीं है या यह कि उसमे ऐसा माल नहीं है जो उसमें है या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है, जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 488- किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड- जो कोई अंतिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है वह उसी प्रकार दंडित किया जायेगा, मानो कि उसने उस

धारा के विरुद्ध अपराध किया हो ।

धारा 489- क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना- जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को, यह आशय रखते हुए, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी संपत्ति चिन्ह को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में

धारा 489-क-करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण- जो कोई किसी करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा, या जानते हुए करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को संपादित करेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

स्पष्टीकरण- इस धारा के और धारा 489-ख, [1][489 -ग, 489-घ, और 489 - ङ] के प्रयोजन के लिए "बैंक नोट" पद से उसके वाहक की माँग पर धन देने के लिए ऐसा वचनपत्र या वचन-बंध अभिप्रेत है, जो संसार के किसी भी भाग में बैंककारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया गया हो या किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न शक्ति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालित किया गया हो, और जो धन के समतुल्य या स्थानापन्न के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हो |

धारा 489-ख-कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रुप में उपयोग में लाना- जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रुप में उसे उपयोग में लाएगा, वह [3][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

धारा 489-ग-कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना- जों कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह

---

1. 1950 के अधिनियम सं. 35 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

कूटरचित या कूटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप मे उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग मे लायी जा सके, अपने कब्जे में रखेगा,वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 489-घ-करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना- जो कोई किसी मशीनरी, उपकरण या सामग्री को किसी करेंसी या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह किसी करेंसी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा, या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करेगा, या खरीदेगा, या बेचेगा, या व्ययनित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, वह [1][आजीवन कारावास] से, या दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 489-ङ- करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग- (1) जो कोई किसी दस्तावेज को, जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्यित हो या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार सदृश हो या इतने निकटत: सदृश हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो रचेगा या रचवाएगा, या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा, वह जुर्माने से,जो एक सौ रुपये तक का हो

---

1. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसी दस्तावेज पर हो जिसकी रचना उपधारा (1) के अधीन अपराध है किसी पुलिस ऑफिसर को या उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह मुद्रित की गयी थी या अन्यथा रची गयी थी, बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना बताने से इंकार करेगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(3) जहाँ कि किसी ऐसे दस्तावेज पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया हो, या किसी अन्य दस्तावेज पर, जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लायी गयी हो, या वितरित की गयी हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वहाँ जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जा सकेगी. कि उसी व्यक्ति ने वह दस्तावेज रचवाई है ।

अध्याय 19
सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में

धारा 490- (.....) कर्मकार संविदा भंग (निरसन) अधिनियम, 1925 (1925 का 3) द्वारा निरसित

धारा 491- असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओ की पूर्ति करने की संविदा का भंग - जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किशोरावस्था या चित्तविकृति या रोग या शारीरिक दुर्वलता के कारण असहाय है, या अपने निजी क्षेम की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, परिचर्या करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए, स्वेच्छया ऐसा करने का लोप करेगा वह दोनों में से किसी भांति के करावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेंगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |

धारा 492- (.....) कर्मकार संविदा भंग (निरसन) अधिनियम,1925(1925 का 3) द्वारा निरसित

अध्याय -20
विवाह संबंधी अपराधों के विषय में

धारा 493- विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास- हर पुरुष, जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री को अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 494- पति या पत्नी के जीवन काल में पुन: विवाह करना- जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

अपवाद- इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो, और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है ,जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है । यदि ऐसा पति या पत्नि उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परंतु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहाँ तक कि उनका ज्ञान उसको हो, दे

धारा 495- वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है- जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में पारिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा, कि जिससे पश्चात्वर्ती विवाह किया जाए वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 496- विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाहकर्म पूरा कर लेना- जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 497- जारकर्म- जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है उस पुरूष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध

का दोषी होगा, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से,या दोनों से, दंडित किया जाएगा । ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी।

धारा 498- विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना- जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देख-रेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा |

[1][अध्याय 20 -क]

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

धारा 498 -क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना- जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "'क्रूरता'" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :--

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।

अध्याय 21

मानहानि के विषय में

धारा 499-मानहानि- जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्यरुपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है ।

स्पष्टीकरण 1. किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता, और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो ।

स्पष्टीकरण 2. किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा ।

स्पष्टीकरण 3. अनुकल्प के रूप में, या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा ।

स्पष्टीकरण 4. कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है ।

पहला अपवाद- सत्य बात का लांछन, जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है- किसी ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए । वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है ।

दूसरा अपवाद-लोक सेवकों का लोकाचरण- उसके लोककृत्यों के निर्वहन में लोकसेवक के आचरण के विषय में, या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

तीसरा अपवाद- किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण-किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, और उसके शील के विषय में,जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उसके आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

चौथा अपवाद- न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन- किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारत: सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है ।

स्पष्टीकरण- कोई जस्टिस ऑफ दी पीस या अन्य ऑफिसर, जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारंभिक जाँच खुले न्यायालय मे कर रहा हो, उपर्युक्त धारा के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय है ।

पाँचवाँ अपवाद- न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों तथा सपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण-किसी ऐसे मामले मे गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

छठाँ अपवाद-लोक कृति के गुणागुण- किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में, जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो न कि उसके आगे कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

स्पष्टीकरण- कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किए गए कार्यों द्वारा, जिनसे लोक के निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो रखी जा सकती है ।

सातवाँ अपवाद- किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गयी परिनिंदा- किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गयी किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्द्यत हो, ऐसे विषयों में, जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो. उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावपूर्वक की गयी कोई परिनिंदा मानहानि नहीं है ।

आठवाँ अपवाद- प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना- किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना, जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं है ।

नवाँ अपवाद- अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन-किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है परंतु यह तब जब कि उसे लागाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, या लोक कल्याण के लिए, वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो ।

दसवाँ अपवाद- सावधानी, जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए, जिसे कि वह दी गयी है या लोक कल्याण के लिए आशीयत है- एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है परंतु यह तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए, जिसे वह दी गयी हो या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो या लोक कल्याण के लिए आशयित हो ।

धारा 500 -मानहानि के लिए दंड- जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 501- मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना- जो कोई किसी बात को यह जानते हुए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है मुद्रित करेगा, या उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 502- मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना- जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 22

आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

धारा 503- आपराधिक अभित्रास- जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या, किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसके करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य करने का लोप कराया जाए, जिसके करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है ।

स्पष्टीकरण- किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो इस धारा के अंतर्गत आता है ।

धारा 504 -लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान- जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा-505-लोक रिष्टि कारक वक्तव्य-

[1]**[(1)]** जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को-

(क) इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि [1]**[**भारत की**]** सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई

---

1. 1969 के अधिनियम सं. 35 के द्वारा धारा 505 उपधारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित |

(ख) ऑफिसर, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे; अथवा

(ग) इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो अथवा

(घ) इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए

रचेगा, प्रकाशित करेगा, या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो [3]**[**तीन वर्ष**]** तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

[5]**[2.विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, धृणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन-** जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएँ, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या सम्प्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो

सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

2. पूजा के स्थान आदि में किया गया

---

1. 1950 के विधि अनुकूलन आदेश, 1950 के द्वारा प्रतिस्थापित |
2. 1961 के अधिनियम सं. 41 के द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित | दिनांक 12.9.1961 से प्रभावी |
3. 1969 के अधिनियम सं. 35 के द्वारा अंतः स्थापित | दिनांक 4.6.1961

उपधारा (2) के अधीन अपराध- जो कोई उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो करेगा, वह कारावास से जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा. दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।**]**

अपवाद- ऐसा कोई कथन,जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और [1]**[**वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना**]** रचता है प्रकाशित करता है या परिचालित करता है

राज्य संसोधन

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़- भा.द.वि. की धारा 505(1) के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय है । (अवलोकन करें अधिसूचना क्रमांक 33205-एफ. क्रमांक 6-59-74-बी-XXIXXI दिनांक 19.11.1975 | (म.प्र. राजपत्र दिनांक 12.3.1976 को प्रकाशित ।)

धारा 506 -आपराधिक अभित्रास के लिए दंड- जो कोई आपराधिक अभित्रास करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो-यदि धमकी मृत्यु या घोर ' उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदंड से या [3]**[**आजीवन कारावास**]** से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन

---

1. 1969 के अधिनियम सं. 35 के द्वारा अंतःस्थापित | दिनांक 4.6.1969 से प्रभावी |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा |

राज्य संसोधन

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ - अधिसूचना क्रमांक 33205-FF.No.6-59-74-B-XXIXXI दिनांक 19.11.1975) के द्वारा धारा 506 के तहत अपराध संज्ञेय है । (अवलोकन करें - म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 12.3.1976

उत्तरप्रदेश- भा.द.वि. की धारा 506 के अपराध को संज्ञेय एवं अजमानतीय किया गया । (*अधिसूचना क्रमांक 777/VIII 9 -4 (2)-87 दिनांकित 31-7-1989 के द्वारा । इसका प्रकाशन उ. प्र. राजपत्र असाधारण में दिनांक 2 अगस्त 1989 को किया गया ।)

धारा 507-अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास- जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ती अंतिम धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

राज्य संसोधन

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़- अधिसूचना क्रमांक 33205-F.No.6-59-74-B-XXI दिनांक 19.11.1975 (म.प्र. राजपत्र, भाग 1 दिनांक 12.3.1976 को प्रकाशित) के द्वारा धारा 507 के तहत अपराध संज्ञेय है ।

धारा 508 -व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य- जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके. कि यदि वह उस बात को न करेगा, जिसे उससे कराना अपराधी का उद्देश्य हो या यदि वह उस बात को करेगा, जिसका उससे लोप कराना अपराधी का उहेश्य हो तो वह या कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है, अपराधी के किसी कार्य से दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, स्वेच्छया उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोप करवाता या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसके करने के लिए वह वैध रुप से हकदार हो. वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 509 - शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि .ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, [1]**[**वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा**]**

धारा 510 - मत्त व्यक्तियों द्वारा लोक- स्थान में अवचार- जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक-स्थान में, या किसी ऐसे स्थान मे जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो आएगा और वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा, जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से. जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 23

अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में

धारा 511 - आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड- जो कोई इस संहिता द्वारा [3]**[**आजीवन कारावास**]** या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किये जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहाँ कि

---

1. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 3.2.13 से प्रभावी |
2. 1955 के अधिनियम सं. 26 के द्वारा प्रतिस्थापित |

ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए, जो यथास्थिति, आजीवन कारावास से

आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी,या ऐसे जुर्माने से,जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |